सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल

School of Good Governance & Policy Analysis

चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन

(01 अप्रैल 2010 – 31 मार्च 2011)

Fourth Annual Report

(1st April 2010–31st March 2011)

सी–403, चतुर्थ तल, नर्मदा भवन, 59, अरेरा हिल्स,
भोपाल–462011

विषय सूची

अनु.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
प्रस्तावना		i
अध्याय – एक : स्कूल की सामान्य जानकारी		
1.1	स्कूल के उद्देश्य	1
1.2	स्कूल की अवधारणा (Vision)	2
1.3	स्कूल के ध्येय (Mission)	2
1.4	स्कूल की कार्यप्रणाली	2
1.5	स्कूल के कार्यस्तंभ	3
1.6	स्कूल के कार्यक्षेत्र की दिशाये	3
1.7	स्कूल के संकल्प	3
अध्याय – दो : वर्ष 2010–11 की मुख्य उपलब्धियॉ		
2.1	इन्टर्नशिप व्यवस्था	4
2.2	प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हेतु कन्सल्टेन्सी	5
2.3	विभागीय जांच प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव	7
2.4	जनमित्र योजना तथा सेवामित्र योजना का अध्ययन	7
2.5	परफारर्मेस मॉनिटरिग एण्ड इवेलुएशन सिस्टम का अध्ययन	9
2.6	मध्यप्रदेश भू–राजस्व–1959 में संशोधन हेतु सुझाव	9
2.7	आइडियाज फॉर सीएम बेबसाईट के सुझावकर्ताओं का सम्मान	10
2.8	मध्यप्रदेश के पिछड़े जिलों में गरीब युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की विशेष योजना की मॉनिटरिग एवं समन्वय का कार्य	11
2.9	पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों/अधिकारियों की क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभाव एवं उन्नयन संबंधी अध्ययन	11
2.10	एकीकृत परिपेक्ष्य योजना एवं वार्षिक प्लान बनाने हेतु पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्कूल का तकनीकी सहायता संस्था के रूप में चयन	12
2.11	मध्यप्रदेश ग्रामीण आजिविका परियोजना के प्रभाव का आंकलन	12
2.12	शासकीय नीतियों/कार्यक्रमों का विश्लेषण तथा लक्ष्य समूह पर उनके प्रभाव के आंकलन	
	2.12.1 जननी सुरक्षा योजना	12
	2.12.2 बलराम ताल योजना	18
	2.12.3 माइक्रोएरिगेशन योजना	20
	2.12.4 कपिलधारा योजना	23
2.13.	अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग एवं समन्वय के प्रयास	25

अध्याय – तीन : सेमीनार/कार्यशालाऐं

3.1 Moving Towards Good Governance : Dissemination of Good Practices and Strategies for Adoption विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला 26

अध्याय – चार : वित्तीय प्रतिवेदन 27

अध्याय – पॉच : स्कूल/कोर स्टॉफ को प्राप्त सम्मान

5.1 आईडियाज फॉर सीएम बेब साईट को पब्लिक पार्टिसिपेशन श्रेणी में "बेबरत्न अवार्ड (सिल्वर आईकन)" 28

5.2 KHETI परियोजना के लिए डॉ. एस.एम. हैदर रिजवी, संचालक (नीति विश्लेषण) की प्रोग्राम मेनेजमेंट इस्टीट्यूट (यू.एस.ए) द्वारा सराहना 28

अध्याय – छः कोर स्टॉफ द्वारा राष्ट्री स्तर पर आयोजित विशिष्ट कार्यक्रमों में तकनीकी योगदान 29

अध्याय – सात : स्कूल की गवर्निंग एवं एक्जिक्यूटिव बॉडी

7.1 स्कूल की गवर्निंग बॉडी 31

7.2 स्कूल की एक्जिक्यूटिव बॉडी 32

अध्याय – आठः परिशिष्ट

8.1 MPRLP के अध्ययन का सांराश 33

8.2 वर्ष 2010–11 में इंटर्न द्वारा किये गये अध्ययन की सूची 41

प्रस्तावना

सुषासन एवं नीति विष्लेषण स्कूल की स्थापना 7 सितम्बर, 2007 को हुई। वर्ष 2010–2011 के दौरान स्कूल द्वारा संचालित इन्टर्नषिप स्कीम के अंतर्गत किये गये अध्ययन हेतु शासकीय विभागों द्वारा और अधिक रूचि ली गई और अध्ययन आधारित लाभ भी अनुभव किये गये। प्रषासनिक व्यवस्था में सुधार हेतु स्कूल के कार्यकारी निकाय के अनुमोदन से प्रषासनिक व्यवस्था में सुधार हेतु कंसल्टेंसी का कार्य पूर्ण किया गया। सामान्य प्रषासन विभाग के प्रस्ताव अनुरूप विभागीय जॉच प्रक्रिया को प्रभावी बनाने संबंधी सुझाव प्रेषित किये गये।

केन्द्र सरकार द्वारा लागू परफार्मेस मॉनिटरिग एण्ड इवेलुएशन सिस्टम का अध्ययन कर इसको राज्य शासन में लागू किए जाने के संबंध में सामान्य प्रषासन विभाग से प्राप्त पत्र के आधार पर स्कूल द्वारा इस सिस्टम का अध्ययन कर इसे लागू किये जाने के संबंध में प्रस्ताव मुख्य सचिव महोदय के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इस अनुक्रम में सामान्य प्रषासन विभाग द्वारा सभी विभागों में परफार्मेंस प्रबंधन हेतु कार्यवाही किये जाने के निर्देष प्रसारित किये गये। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एसजीएसवाय अंतर्गत मध्यप्रदेष के पिछड़े जिलों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे बेरोजगार युवक/युवतियों को सघन प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार दिये जाने हेतु प्रषिक्षण कार्यक्रम की विषेष परियोजना के लिए मॉनिटरिग एवं एव्यूलेशन संस्था के रूप में कार्य कर स्कूल द्वारा किया जा रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्कूल को सौंपे गये पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों/अधिकारियों की क्षमता विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जा रहा है। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेष के 06 जिलों (अनूपपुर, दमोह, डिण्डोरी, कटनी, सिवनी एवं शहडोल) की एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना एवं वार्षिक प्लान बनाने हेतु स्कूल का तकनीकी सहायता संस्था के रूप में चयन किया गया है। इस योजना पर गत 6 माह से कार्य किया जा रहा है। ''मध्यप्रदेश ग्रामीण आजिविका परियोजना'' के प्रभाव का आंकलन करने हेतु अध्ययन पूर्ण किया गया। स्कूल द्वारा शासकीय नीति/कार्यक्रमों का विश्लेषण तथा लक्ष्य समूह पर उनके प्रभाव के आंकलन संबंधी उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्यकारी निकाय के अनुमोदन उपरान्त प्रारम्भिक तौर पर आम जनता से जुड़ी हुई चार योजनाओं पर कार्य किया गया।

बेवसाईट www.ideasforcm.in के माध्यम से मार्च 2011 तक लगभग 3800 आईडियाज़ प्राप्त हुए हैं। अभी तक 12 आईडियाज़ का क्रियान्वयन हेतु चयन मान्नीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा किया गया। मान्नीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर 2010 को चयनित सुझावकर्त्ताओं का सम्मान भोपाल में आयोजित समारोह में किया गया है।

Dissemination of Good Practices and Strategies for Adoption विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 29 मई 2010 को सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, तथा स्कूल, के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यशाला में अप्रेल 2010 में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरूस्कार से सम्मानित 08 बेस्ट प्रेक्टिसेस तथा मध्यप्रदेश राज्य की चयनित 02 बेस्ट प्रेक्टिसेस का प्रस्तुतिकरण किया गया। बेस्ट प्रेक्टिसेस के प्रस्तुतिकरण उपरांत मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन महोदय की अध्यक्षता में विशेष चर्चा सत्र "Exploring Areas for Adoption, Adaption and Up Scaling of Good Practices in the Context of Madhya Pradesh" विषय पर आयोजित किया गया, जिसमे मध्यप्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य राज्यों से आये प्रतिनिधियों की सहभागिता रही।

स्कूल के विकास में माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेष शासन एवं स्कूल की शासी निकाय के अध्यक्ष तथा मुख्य सचिव, मध्यप्रदेष शासन एवं स्कूल की कार्यकारी निकाय के अध्यक्ष महोदय के विषेष मार्गदर्षन एवं प्रोत्साहन के लिए हम अत्यंत आभारी है।

(एच.पी. दीक्षित)
महानिदेषक

अध्याय – एक

स्कूल संबंधी सामान्य जानकारी

1.1 स्कूल के उद्देश्य –

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रषासन विभाग के आदेष क्रमांक एफ 11–8/2007/1/9 भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2007 द्वारा सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल की भोपाल में स्थापना की गई है। सुषासन एवं नीति विष्लेषण स्कूल के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैंः–

- सुषासन के क्षेत्र में वैष्विक एवं स्थानीय (Global-Local) परिपेक्ष्य में थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। शासकीय नीतियों का विष्लेषण तथा लक्ष्य समूह पर उनके प्रभाव का आंकलन करना।
- सुषासन के विभिन्न आयामों का विष्लेषण करना, समस्याओं को चिन्हित कर उनका समाधान सुझाना, कार्य योजना बनाना तथा उन्हें क्रियान्वित करने में सहायता करना।
- उत्कृष्ट कार्य एवं विधियों तथा ई–प्रषासन के कार्यक्रमों का संकलन कर उनका विस्तारण करना।
- प्रचलित प्रषासनिक व्यवस्थाओं में सुधार एवं उनके स्वरूप में आवष्यक परिवर्तन संबंधी परामर्ष देना।
- ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करना, जिनमें परिवर्तन एवं सुधार से प्रषासनिक परिणामों तथा उपलब्धियों पर अधिकतम् सकारात्मक प्रभाव पड़ता हो।
- प्रषासन को जन–केन्द्रित बनाने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय संस्थाओं तथा संबद्ध हितग्राहीयों के लिए मंच उपलब्ध कराना।
- स्थानीय निकाओं, राज्यों, राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय संस्थाओं के लिये कार्यक्रमों की संरचना एवं संचालन, एक्शन रिसर्च एवं प्रषासनिक सुधार कार्यक्रमों के लिये तकनीकी परामर्ष एवं सेवायें उपलब्ध कराना।

1.2 स्कूल की अवधारणा (vision) –

"सुशासन जो सबको समान अवसर प्रदान करे एवं जिसका लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाना हो।"श

("Equal opportunity to all through Good Governance geared to improve the quality of lives of our People").

1.3 स्कूल के ध्येय (mission) –

"Knowledge Resource Hub और Repository के निर्माण एवं अन्य माध्यमों द्वारा सुशासन के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन के विकास का प्रयास, सुनिश्चित करना, जिससे शासन को अधिक पारदर्शी, सहभागी, जनकल्याण केन्द्रित तथा जिम्मेदार और सुदृढ़ बनाया जा सके" ।

("Develop *Knowledge Resource Hub* and *Repository and other strategies*, to motivate and encourage strengthening of Good Governance which is more transparent, participative, accountable and focused on improving the quality of lives of our people").

1.4 स्कूल की कार्यप्रणाली –

संचालक सुशासन (Director Governance), संचालक नीति विश्लेषण (Director Policy Analysis) तथा संचालक प्रबन्धन (Director Knowledge Management), परियोजना/कार्यक्रम समन्वयक/अनुसंधान संयुक्त/षोधकर्त्ता (Project/ Programme Coordinators / Research Associates/ Research Fellows), तथा प्रशासनिक स्टाफ के सहयोग से स्कूल का कार्य संपादित होगा। परियोजनाओं से संबंधित विषिष्ट परामर्षदायी विषेषज्ञ / सलाहकार (Distinguished Specialists / Advisors), विशिष्ट फेलो / कन्सलटेंट (Distinguished Fellows/Consultants) संस्थागत/ एक्सचेंज कार्यक्रम फेलों (Institutional Fellows, Exchange Programme Fellows) तथा कार्यक्षेत्र अनुभवी विषेषज्ञ (Experts with Field Experience) से भी सहयोग लिया जायेगा।

1.5 स्कूल के कार्य स्तंभ –

- शोध, नीति विश्लेषण एवं विकास
- सुशासन के लिए क्षमता के विकास को प्रोत्साहन
- प्रबंधन तकनीकियों का सुशासन के लिये उपयोग

1.6 स्कूल के कार्यक्षेत्र की दिशाएँ –

- शासन में नवाचार
- सेवाओं में सुधार और *grassroots* तक विस्तार
- शासन का विकेन्द्रीकरण
- अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास
- शासन में आम समाज की साझेदारी
- ई–शासन
- सुशासन के लिए *knowledge hub* और *repository* का निर्माण
- समान उद्देश्यों वाली अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग एवं समन्वय की स्थापना
- सुशासन को प्रोत्साहन

1.7 स्कूल के संकल्प –

- सुशासन संबंधी नीतियों के पालन में शासन को सहयोग प्रदान करने के लिए स्कूल संकल्पित है।
- स्कूल विभिन्न विभागों, संस्थाओं एवं विशेषज्ञों के साथ मिलकर सुशासन स्थापित करने को प्रोत्साहित करेगा।
- आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाने के प्रयासों में स्कूल सहयोगी होगा।

––00––

अध्याय – दो

वर्ष 2010–11 की मुख्य गतिविधियॉ

2.1 इन्टर्नशिप व्यवस्था–

शासन तंत्र से आई.आई.एम एवं आई.आई.टी. जैसी ख्याति प्राप्त संस्थाओं के विषय विशेषज्ञों को जोडने हेतु स्कूल द्वारा वर्ष 2009 से इंटर्नशिप व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिवर्ष अधिकतम 20 इन्टर्न का चयन उपरोक्त संस्थाओं के मुख्यतः एम.बी.ए./एम.टेक. द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों से किया जाता है। चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार संचालित होती है।

- इन्टर्नशिप व्यवस्था की जानकारी माह सितम्बर में सभी विभागों को प्रेषित करते हुए आगामी अप्रैल से जुलाई के अंतराल में अध्ययन हेतु योजनाओ संबंधी प्रस्ताव प्राप्त किये जाते है।
- स्कूल की वेबसाईट पर प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर इच्छुक इंटर्न द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से आवेदन स्कूल को प्रेषित किये जाते है।
- इंटर्न की योग्यता और रूचि को ध्यान में रखते हुये संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी तथा स्कूल के कोर स्टाफ द्वारा प्राथमिक रूप से चुने गये आवेदकों का वीडियो–कांफ्रेंस/टेलीफोन के माध्यम से साक्षात्कार के पष्चात् चयन किया जाता है।
- शासकीय विभागों द्वारा चिन्हित योजनाओं के अध्ययन के लिये इंटर्न की मेन्टरिंग और उनके तथा नोडल अधिकारी के बीच समन्वय का कार्य स्कूल के कोर स्टाफ द्वारा किया जाता है।
- माह अप्रैल से जुलाई के बीच विभिन्न विभागों की नीतियों/कार्यक्रमों का अध्ययन कर प्रत्येक इंटर्न द्वारा अपने सुझाव एक रिपोर्ट के रूप में नोडल अधिकारी और स्कूल के कोर स्टाफ के माध्यम से संबंधित विभाग को प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2009 तथा 2010 में कुल 39 इंटर्न द्वारा अध्ययन संबंधी रिपोर्ट पूर्ण की गई। कुछ विभागों द्वारा इन रिपोर्टो के आधार पर आगामी कार्यवाही लाभप्रद भी सिद्ध हुई है। वर्ष 2011 में इन्टर्नशिप व्यवस्था अंतर्गत देश की विभिन्न ख्याति प्राप्त संस्थाओं से 200 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए है, जिनमें से कुल 20 आवेदकों का चयन किया गया है। इस प्रकार अबतक आई. एम. इन्दौर, आई. आई. एम. लखनऊ, आई. आई. टी. कानपुर, आई. आई. टी. दिल्ली, आई. आई. एफ. एम. भोपाल, आई. आर. एम. ए. आनन्द. एक्स. आई. एम. भुवनेश्वर, आई. आई. टी. मद्रास आदि संस्थाओं के इंटर्न को विभिन्न शासकीय योजनाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य संपादित हो सका है।

वर्ष 2011 हेतु चुने गये इन्टर्न नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, वन विभाग, आवास एवं पर्यावरण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन विभाग, ऊर्जा विकास निगम एवं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से संबधित योजनाओं/नीतियों, का अध्ययन करेंगे।

2.2 प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हेतु कन्सल्टेन्सी–

प्रदेश के विकास हेतु एवं शासन को जन केन्द्रित बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य शासन द्वारा चिन्हित सात प्राथमिकताओं पर प्रभावी कार्यवाही करने के लिए सात स्थायी कार्यदल बनाए गए थे, जिनमें सुशासन एवं संसाधन विकास कार्यदल भी एक था। इस कार्यदल द्वारा चर्चा के दौरान पाया गया कि शासकीय कार्यों में विलंब का एक महत्वपूर्ण कारण मंत्री एवं विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव के मध्य कार्यों का स्पष्ट विभाजन न होना एवं प्रमुख सचिव/सचिव तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का उचित प्रत्यायोजन नहीं होना है। अतः कार्यदल के अध्यक्ष द्वारा इन विषयों पर सुझाव देने के लिए सलाहकार नियुक्त किए जाने बाबत् स्कूल को लेख करते हुए श्री विनोद चौधरी, अपर मुख्य सचिव (सेवानिवृत्त) के नाम की अनुशंसा की गई थी।

स्कूल द्वारा कार्यकारी निकाय के अनुमोदन से श्री विनोद चौधरी, अपर मुख्य सचिव (सेवानिवृत्त) को उपरोक्त विषय पर कंसलटेंसी कार्य माह नवम्बर 2009 में सौंपा गया था। टर्म्स ऑफ रिफरेन्स अनुसार कन्सल्टेन्सी हेतु निम्न मुद्दे निर्धारित किये गये थे–

अ. मंत्री, प्रमुख सचिव एवं सचिव के बीच कार्यो का स्पष्ट विभाजनः शासकीय कार्यों में विलम्ब का एक महत्वपूर्ण कारण विभागीय मंत्री एवं विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव के मध्य कार्यों का स्पष्ट विभाजन न होना भी है। यदि विभागीय मंत्री एवं प्रमुख सचिव/सचिव के मध्य कार्यों का स्पष्ट बंटवारा किया जाए तो ना केवल शासकीय कार्यों में तेजी आएगी बल्कि विवाद की परिस्थितियॉ भी कम निर्मित होंगी। कन्सलटेंट द्वारा इस संबंध में कार्य के स्पष्ट बंटवारे हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।

ब. प्रमुख सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्ष को स्थानांतरण/व्यय हेतु अधिकारों का प्रत्यायोजनः वर्तमान व्यवस्था में लगभग सभी कार्यों हेतु नस्तियाँ निर्णय हेतु विभागीय मंत्री तक जाती है। इस व्यवस्था के कारण जहां रोजमर्रा के कार्य प्रभावित होते हैं वहीं दूसरी ओर नीतिगत पहलुओं पर विचार हेतु उच्च स्तर पर पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं होता है। अतः कार्यों की तत्परता के लिए आवश्यक है कि विभागाध्यक्ष स्तर एवं प्रमुख सचिव/ सचिव स्तर पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का प्रत्यारोपण किया जाए, जिससे कि उच्च स्तर पर नीतियों के निर्माण एवं उनकी समीक्षा हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध हो सके। कन्सलटेंट द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।

स. मध्यप्रदेश शासन के कार्य नियमों में संशोधनः मध्यप्रदेश शासन द्वारा अपने कार्य नियम बनाए गए है एवं इन कार्य नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन भी किए गए है। लेकिन अभी भी ये कार्य नियम कई जगह सु–स्पष्ट नहीं होने से निर्णय लेने में विलंब होता है। कन्सलटेंट द्वारा कार्य नियमों का अध्ययन कर उनको सु–स्पष्ट बनाते हुए जहॉ आवश्यक हो, संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्पष्टता आए एवं निर्णय शीघ्र हो सके।

द. मंत्रालयीन कार्यप्रणाली पुस्तिका में संशोधनः मंत्रालयीन कार्यप्रणाली पुस्तिका मूल रूप से 1960 के आसपास तैयार की गई थी। बदलती परिस्थितियों एवं परिवेश तथा सूचना प्रौद्योगिकी के बढते उपयोग को देखते हुए मंत्रालयीन कार्यप्रणाली पुस्तिका में पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है, जिससे कि निर्णय लेने की प्रक्रिया सरल हो एवं निर्णय लेने में गति आए। कन्सलटेंट द्वारा मंत्रालयीन कार्यप्रणाली पुस्तिका में आवश्यकतानुसार संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।

श्री विनोद चौधरी द्वारा अगस्त 2010 को ''प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार'' के संबंध में अपना प्रतिवेदन (दो भागों में) स्कूल को सौंपा गया है। प्रथम भाग में टर्म्स ऑफ रिफरेंस के बिन्दुओं पर सुझाव दिए गए हैं। द्वितीय भाग में टर्म्स ऑफ रिफरेंस के संबंध में अन्य पडोसी राज्यों– महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त की गई वित्तीय शक्तियों एवं उनके कार्यनियमों संबंधी जानकारी है। स्कूल द्वारा प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किया गया है।

2.3 विभागीय जांच प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव–

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभागीय जॉच की प्रक्रिया को किस प्रकार सरल, प्रभावी एवं त्वरित निराकरण के योग्य बनाया जाए, इस संबंध में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1966 में संषोधन तथा अन्य सुझाव देने का कार्य स्कूल को सौंपा गया था।

स्कूल द्वारा इस संबंध में केन्द्रीय सर्तकता आयोग, राज्य शासन द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों एवं अखिल भारतीय सेवा (डीसिप्लिन एवं अपील) रूल 1969 का अवलोकन किया गया है। अवलोकन उपरांत मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966) के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित किये गये। इसके साथ ही विभागीय जांच प्रक्रिया से संबंधित बिन्दुओं यथा– निलंबन को सजा के बतौर इस्तेमाल न किया जाना, दोष/अनियमितता अनुसार जॉच प्रक्रिया का निर्धारण, लम्बित विभागीय जॉच की मॉनिटरिंग हेतु साफ्टवेयर, विभागीय जॉच आयुक्त कार्यालय का सुदृढीकरण, विभागीय जॉच हेतु संविदा आधार पर सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवाऐं लेना एवं लोक सेवा आयेाग से आवश्यक समन्वय, पर अपने सुझाव दिये गये है। स्कूल द्वारा अपना प्रतिवेदन अक्टूबर 2010 में सामान्य प्रशासन विभाग को सौपा गया है।

2.4 जन मित्र योजना (ग्वालियर) तथा सेवा मित्र योजना (सिवनी) का अध्ययन–

आम नागरिकों को बेहतर ढ़ग से सेवायें प्रदाय करने के लिये जिलों में अलग–अलग ढ़ग से प्रयास किये जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिलाध्यक्ष ग्वालियर द्वारा जनमित्र योजना तथा जिलाध्यक्ष सिवनी द्वारा सेवामित्र योजना प्रारंभ की गई है। राज्य शासन द्वारा सेवा प्रदाय प्रणाली में सुधार हेतु जनमित्र योजना, (ग्वालियर) तथा सेवामित्र योजना (सिवनी) में

किये गये प्रयोग का अध्ययन करने एवं इनके संपूर्ण राज्य में विस्तार करने की योजना तैयार करने के लिए स्कूल के नेतृत्व में निम्नानुसार दल का गठन किया गया है :–

1. सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल द्वारा नामांकित प्रतिनिधि–श्री अखिलेष अर्गल, संचालक (सुषासन) एवं श्री सौरभ बंसल, कार्यक्रम समन्वयक (ज्ञान प्रबंधन),
2. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामांकित प्रतिनिधि–श्री एल.के. तिवारी, वरिष्ठ महाप्रबंधक, मध्यप्रदेष इलेक्ट्रोनिक विकास निगम, भोपाल एवं
3. श्री राजीव शुक्ला, प्रशिक्षण संचालक, प्रशासन अकादमी, भोपाल

राज्य शासन द्वारा गठित दल द्वारा सिवनी तथा ग्वालियर जिले का भ्रमण कर वहां के जिला कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारियों से चर्चा की गई। साथ ही दोनों जिलों में सेवा प्रदाय हेतु स्थापित किये गये कुछ केन्द्रों का भी निरीक्षण किया गया एवं आम नागरिकों से भी केन्द्रों की उपयोगिता के संबंध में चर्चा की गई। स्कूल द्वारा उक्त दोनों प्रयोगों का अध्ययन कर इनके विस्तार की कार्ययोजना पर प्रतिवेदन नवम्बर 2010 में सामान्य प्रषासन विभाग को सौंपा गया है।

प्रतिवेदन में सेवामित्र मॉडल सिवनी को अधिक उपयुक्त पाते हुए इसके आधार पर सेवा प्रदायगी हेतु पूरे प्रदेश में व्यवस्था लागू किये जाने की अनुशंसा की गई है। साथ ही ऑनलाईन आवेदन/शिकायत प्राप्त करने एवं प्राप्त आवेदनों/शिकायतों के निराकरण के लिए राज्य स्तर पर सॉफट्वेयर तैयार करने, सेवामित्र केन्द्रो के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सेवाओं के लिए एकरूपता की दृष्टि से राज्य स्तर से सेवा शुल्क निर्धारित करने, सेवामित्र केन्द्रो को ग्रामीण क्षेत्रो में पर्याप्त कार्य उपलब्ध कराने की दृष्टि से तथा इनकी निरंतरता बनाए रखने के लिए इन्हें विभिन्न विभागों द्वारा डाटा एन्ट्री सेंटर के रूप में मान्यता देने, सामुदायिक सेवा केन्द्रो को पूरे प्रदेश में सेवा प्रदायगी के लिए केन्द्र बिन्दु बनाने एवं विभिन्न विभागों द्वारा सेवा प्रदायगी के लिए संचालित कार्यालयों को धीरे–धीरे कम किये जाने, मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत सभी सेवा मित्र केन्द्रो पर इस अधिनियम के तहत आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था करने, सेवा प्रदायगी में और सुधार के लिए भविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए डिजिटल सिग्नेचर के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था, राज्य स्तर पर सेवाओं की प्रदायगी की मॉनिटरिंग एवं समन्वय हेतु एक सेल लोक सेवा प्रबंधन विभाग अथवा सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल में बनाये जाने की अनुशंसा की गई है।

2.5 परफार्मेस मॉनिटरिग एण्ड इवेलुएशन सिस्टम का अध्ययन–

मान्नीय प्रधानमंत्री द्वारा सितम्बर 2009 में सभी केन्द्रीय विभागों के लिए परफार्मेस मॉनिटरिग एण्ड इवेलुएशन सिस्टम की रूपरेखा का अनुमोदन किया गया था, जिसके अनुक्रम में सभी केन्द्रीय विभागों द्वारा "रिजल्ट फ्रेम डाक्यूमेंट" तैयार कर सभी राज्यों को भी इस दिशा में कार्यवाही किये जाने की सलाह दी गई थी। केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये गए परफार्मेस मॉनिटरिग एण्ड इवेलुएशन सिस्टम का अध्ययन कर इसको मध्यप्रदेश राज्य में लागू किए जाने के संबंध में मुख्य सचिव महोदय ने स्कूल से अभिमत चाहा था। स्कूल द्वारा परफार्मेस मॉनिटरिग एण्ड इवेलुएशन सिस्टम का अध्ययन कर इसे लागू किये जाने के संबंध में टीप मुख्य सचिव महोदय के विचारार्थ प्रस्तुत की गई। स्कूल द्वारा तैयार की गई टीप के अनुक्रम में सामान्य प्रषासन विभाग द्वारा सभी विभागों में परफार्मेस प्रबंधन हेतु कार्यवाही किये जाने के निर्देष प्रसारित किये गये।

2.6 मध्यप्रदेश भू–राजस्व सहिता 1959 में संशोधन हेतु सुझाव–

विभिन्न स्तरों पर राजस्व न्यायालय में लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्रता से निराकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के अध्याय–4, जिसमें राजस्व पदाधिकारी एवं राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया और अध्याय–5, जिसमें अपील, पुनरीक्षण एवं पुर्नविलोकन के प्रावधान वर्णित हैं, में संशोधन किये जाने की आवश्यकता राज्य शासन द्वारा महसूस की गई थी।

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 में संशोधन हेतु सुझाव देने के लिए सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल को कार्य सौंपा गया था। स्कूल द्वारा इस कार्य हेतु सेवानिवृत्त विधि स्नातक राजस्व अधिकारियों– डॉ. व्ही.सी. अवस्थी, सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर, श्री आर.सी. सक्सेना, सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर एवं श्री आर.सी. श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर की समिति बनाकर इस कार्य को सम्पन्न किया गया है। भू–राजस्व संहिता में संशोधन हेतु कुछ आयुक्त एवं जिलाध्यक्ष से भी सुझाव चाहे गए थे। समिति द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 में संशोधन हेतु अपना प्रतिवेदन अक्टूबर 2010 में प्रस्तुत किया गया जिसे अग्रिम कार्यवाही हेतु राजस्व विभाग को प्रेषित किया गया है।

2.7 ''आइडियाज़ फॉर सीएम'' बेवसाईट के सुझावकर्त्ताओं का सम्मान–

आम जनता को सुशासन एवं विकास की वैचारिक प्रक्रिया से व्यापक रूप से जोड़ने एवं इनके अनुभव और ज्ञान के अपार भण्डार का लाभ प्रदेश के विकास की प्रक्रिया में लेने के लिए स्कूल द्वारा ''आइडियाज़ फॉर सीएम'' वेबसाईट का निर्माण किया गया है जिसका उद्घाटन मान्नीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा दिनांक 19.01.2009 को किया गया था। इस वेबसाईट के माध्यम से विश्व के किसी भी हिस्से से सुशासन एवं विकास के संबंध में सुझाव प्रेषित किये जा सकते हैं।

प्राप्त आईडियाज के विश्लेषण एवं अनुश्रवण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाईन रखी गई है। नागरिकों द्वारा किसी आईडिया को प्रेषित करते ही उन्हें ई–मेल के माध्यम से आईडिया प्राप्त होने की सूचना दी जाती है। आईडिया की प्रारंभिक छानबीन के उपरांत यदि आईडिया अग्रिम विश्लेषण हेतु उपयुक्त पाया जाता है तो उस आईडिया को पंजीकृत कर संबंधित विभाग को अभिमत हेतु ऑनलाईन प्रेषित किया जाता है। साथ ही सुझावकर्ता को भी ई–मेल के माध्यम से उसके सुझाव के पंजीयन की सूचना देते हुए एक आई–डी एवं पासवर्ड दिया जाता है, जिसके माध्यम से सुझावकर्ता उसके आईडिया पर समय–समय पर की गई कार्यवाही की स्थित जान सकता है। यदि प्रारंभिक छानबीन के उपरांत आईडिया अग्रिम विश्लेषण हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उस स्थित में भी सुझावकर्ता को ई–मेल के माध्यम से सूचना दी जाती है। पंजीकृत आईडिया पर विभाग का अभिमत प्राप्त होने के उपरांत पुनः आईडिया का परीक्षण एक समिति द्वारा किया जाता है। तदोपरांत आईडिया के क्रियान्वयन के संबंध में माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में निर्णय लिया जाता है। इस निर्णय के संबंध में भी सुझावकर्ता को ई–मेल के माध्यम से सूचित किया जाता है।

इस बेवसाईट को www.ideasforcm.in पर देखा जा सकता है। मार्च 2011 तक इस वेबसाईट के माध्यम से लगभग 3800 आईडियाज़ प्राप्त हुए हैं। अभी तक 12 आईडियाज़ का क्रियान्वयन हेतु चयन किया गया है। मान्नीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर 2010 को चयनित सुझावकर्त्ताओं का सम्मान भोपाल में आयोजित समारोह में किया गया है।

2.8 मध्यप्रदेष के पिछड़े जिलों में गरीब युवाओं को रोजगार हेतु प्रषिक्षण कार्यक्रम की विषेष परियोजना की मानिटरिंग एवं समन्वय का कार्य–

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एसजीएसवाय अंतर्गत मध्यप्रदेष के पिछड़े जिलों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे बेरोजगार युवक/युवतियों को सघन प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार दिये जाने हेतु प्रषिक्षण कार्यक्रम की विषेष परियोजना स्वीकृत की गई है योजना की कुल लागत राशि रू. 1496.00 लाख है, जिसमें केन्द्रांश राशि रू. 1122.00 लाख एवं राज्यांश राशि रू. 374.00 लाख है। परियोजना की अवधि दो वर्ष है एवं परियोजना अवधि में 12 जिलों के 10,000 युवाओं/युवतियों को 9 ट्रेड में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाना है। योजना का क्रियान्वयन "क्रिस्प" (Centre for Research and Industrial Staff Performance) द्वारा किया जायेगा। परियोजना अंतर्गत 09 ट्रेड– 1. रेडीमेड गारमेंट मेकिग, 2. सेल्स एवं मार्केटिग, 3. सिक्योरिटी सर्विस, 4. कम्प्यूटर हार्डवेयर रिपेयर एवं मेन्टेनेन्स, 5. बेसिक इलेक्ट्रिशियन, 6. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, 7. मशीन मेकेनिक, 8. आटोमेशन इन्जीनीयरिग, 9. हेण्डीक्राफ्ट, में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल को इस परियोजना के लिए "मॉनिटरिग एवं एव्यूलेशन संस्था" के रूप में चिन्हित किया गया है एवं क्रियान्वयन संस्था "क्रिस्प" को परियोजना राशि का प्रदाय स्कूल के माध्यम से किया जाएगा। परियोजना की प्रथम किस्त "क्रिस्प" को प्रदाय की जा चुकी है। वर्तमान में हितग्राहियों का चयन एवं आजीविका एवं कौशल उन्नयन केन्द्रो की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

2.9 पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों/अधिकारियों की क्षमता विकास हेतु प्रषिक्षण कार्यक्रम के प्रभाव एवं उन्नयन संबंधी अध्ययन–

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत महात्मा गॉधी राज्य स्तरीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों/अधिकारियों की क्षमता विकास हेतु प्रषिक्षण कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने एवं प्रषिक्षण विधि के उन्नयन के संबंध में अनुषंसा देने के कार्य स्कूल को सौंपे गये है। स्कूल द्वारा अध्ययन की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसे आगामी 6 माह में पूर्ण किया जायेगा।

2.10. एकीकृत परिपेक्ष्य योजना एवं वार्षिक प्लान बनाने हेतु पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्कूल का तकनीकी सहायता संस्था के रूप में चयन–

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेष के लिए तकनीकी सहायता संस्थाओं के चयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्ताव मांगे गये थे। मध्यप्रदेष के 06 जिलों (अनूपपुर, दमोह, डिण्डोरी, कटनी, सिवनी एवं शहडोल) की एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना एवं वार्षिक प्लान बनाने हेतु स्कूल के प्रस्ताव को चुनते हुए तकनीकी सहायता संस्था के रूप में चयन किया गया है। यह कार्य आगामी एक वर्ष में पूर्ण किया जाना है।

2.11. मध्यप्रदेश ग्रामीण आजिविका परियोजना के प्रभाव का आंकलन–

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत ''मध्यप्रदेश ग्रामीण आजिविका परियोजना'' के प्रभाव का आंकलन करने हेतु अध्ययन ''Assesment of the improvement in quality of life of Madhya Pradesh Rural Livelihood Project (MPRLP) beneficiaries'' सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल द्वारा पूर्ण किया गया । इस अध्ययन का सारांष **परिषिष्ट–8.1** पर उपलब्ध है।

2.12. शासकीय नीति/कार्यक्रमों का विश्लेषण तथा लक्ष्य समूह पर उनके प्रभाव के आंकलन–

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल द्वारा शासकीय नीति/कार्यक्रमों का विश्लेषण तथा लक्ष्य समूह पर उनके प्रभाव के आंकलन संबंधी उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्यकारी निकाय के अनुमोदन उपरान्त आम जनता से जुड़ी हुई निम्न योजनाओं पर कार्य किया गया–

1. जननी सुरक्षा योजना।
2. बलराम तलाब योजना।
3. माइक्रोएरिगेशन योजना।
4. कपिलधारा योजना।

उपरोक्त योजनाओं का संक्षिप्त अध्ययन सांराश निम्नानुसार है :–

2.12.1 जननी सुरक्षा योजना –

भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एवं वित्त पोषित ''**जननी सुरक्षा योजना**'' देश में 12 अप्रैल, 2005 से प्रारंभ की गई। मध्यप्रदेश में ''जननी सुरक्षा योजना'' 15 अगस्त, 2005 से संचालित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित कर गरीब महिलाओं में मातृ–मृत्युदर एवं नवजात शिशु–मृत्युदर को कम करना एवं उन्हें सुरक्षित

मातृत्व प्रदान करना है। योजनान्तर्गत संस्थागत प्रसव कराने पर हितग्राही को ग्रामीण क्षेत्र में रू. 1400 एवं शहरी क्षेत्र में रू. 1000 की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। साथ ही प्रेरक के लिए ग्रमीण क्षेत्र में रू. 350 एवं शहरी क्षेत्र में रू. 200 का प्रावधान है। प्रसव हेतु अस्पताल जाने के लिए परिवहन व्यय की रू. 250 तक की प्रतिपूर्ति का प्रावधान भी योजना में शामिल है।

''जननी सुरक्षा योजना'' को प्रदेश में संचालित हुए लगभग पॉच वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अतः आवष्यकता है कि योजना के प्रभावों का क्रमबद्व तरीके से अध्ययन किया जाए। वर्तमान अध्ययन का मुख्य उद्देश्य लाभार्थी महिलाओं, अन्य हितबद्ध समूह में योजना के प्रति जागरूकता का स्तर, प्रसव की सूक्ष्म योजना के क्रियान्वयन की स्थिति, आशा की भूमिका एवं सेवा प्रदाय प्रणाली की प्रभावशीलता का अध्ययन करना एवं सेवा प्रदाय प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव देना है।

अध्ययन हेतु प्रदेश के प्रत्येक संभाग से एक–एक ज़िले का चयन, वर्ष 2009–10 की संस्थागत प्रसव संख्या के आधार पर किया गया है, जिसमें पॉच जिले ऐसे लिये गये है जहॉ संस्थागत प्रसव की संख्या कम है एवं पॉच जिले ऐसे जहॉ संस्थागत प्रसव संख्या ज्यादा है। इसी आधार पर प्रत्येक जिले से दो–दो विकासखण्डों का चयन एवं रेण्डम आधार पर प्रत्येक विकासखंड से दो ग्रामों का चयन किया गया है। इस प्रकार 10 जिलों के 40 ग्रामों में अध्ययन किया गया है। चयनित जिले भिण्ड, ग्वालियर, उज्जैन, इन्दौर, रायसेन, बैतूल, सागर, मण्डला, सतना एवं उमरिया हैं। अध्ययन में चयनित ग्रामों में वित्तीय वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में प्रसव प्रक्रिया से गुज़र चुकी समस्त महिलाओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है। जिन महिलाओं ने शासकीय संस्थाओं (अस्पताल) में डिलेवरी कराई है, उन्हें लाभार्थी की श्रेणी में रखा गया है एवं जिनकी डिलेवरी घर पर हुई है, उन्हें गैर लाभार्थी की श्रेणी में रखा गया है। चिन्हित ग्रामों में पदस्थ समस्त आशा भी अध्ययन में शामिल की गईं है। योजना के प्रभाव का आंकलन मुख्य रूप से प्रश्नावली एवं समूह चर्चा पर आधारित है। लाभार्थी, गैर लाभार्थी एवं आशा के लिए अलग–अलग प्रश्नावली का निर्माण किया गया है।

कुल 1516 उत्तरदाताओं को अध्ययन में शामिल किया गया है जिनमें 1248 लाभार्थी, 233 गैर लाभार्थी एवं 35 आशा उत्तरदाता शामिल है। उत्तरदाताओं की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति का विवरण निम्नानुसार हैः–

उत्तरदाता	जातिवर्ग (प्रतिशत में)				आयुवर्ग (प्रतिशत में)						शिक्षा (प्रतिशत में)						श्रेणी (प्रतिशत में)	
	अजा	अजजा	पि वर्ग	सामा	15–19 वर्ष	20–24 वर्ष	25–29 वर्ष	30–34 वर्ष	35–39 वर्ष	> 40 वर्ष	अशिक्षित	पाँचवी	आठवी	हाईस्कूल	हायरसेकेण्डरी	स्नातक / अधिक	एपीएल	बीपीएल
लाभार्थी	23	19	46	12	02	49	38	10	01	0	37	23	25	10	04	01	61	39
गैरलाभार्थी	26	31	34	09	02	42	39	15	02	0	46	29	18	07	0	0	48	52
आशा	18	11	40	31	0	0	45	29	20	06	0	10	46	29	09	06	—	—

लाभार्थियों / गैर लाभार्थियों के पति की आय का मुख्य स्त्रोत खेती एवं मजदूरी है। औसतन 50 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों / गैर लाभार्थियों के पति की आय रूपये 1500 प्रतिमाह है, 25 प्रतिशत की 1501–3000, 10 प्रतिशत की रूपये 3001–5000, 6 प्रतिशत की रूपये 5001–10000 एवं 3 प्रतिशत की रूपये 10001 से अधिक है। 30 प्रतिशत लाभार्थियों का एक बच्चा, 38 प्रतिशत के 2, 19 प्रतिशत के 3 एवं 13 प्रतिशत के 4 या अधिक बच्चे हैं। आशा के बच्चों के विश्लेषण अनुसार 15 प्रतिशत के 1 बच्चा, 32 प्रतिशत के 2 बच्चे, 29 प्रतिशत के 3 बच्चे एवं 24 प्रतिशत के 4 या अधिक बच्चे हैं।

अध्ययन अनुसार लाभार्थियों, गैर लाभार्थियों एवं समुदाय में योजना के प्रति जागरूकता का स्तर अच्छा पाया गया है। लाभार्थी महिलाओं के साथ–साथ 95 प्रतिशत गैर लाभार्थी महिलाओं को योजना के वित्तीय प्रावधान के संबंध में जानकारी है।

योजना के क्रियान्वयन की स्थिति का अध्ययन करने पर पाया गया है कि योजना के विभिन्न पहलुओं जैसे–जच्चा बच्चा रक्षा कार्ड बनना, आंगनबाड़ी में पंजीयन (95 प्रतिशत), प्रसव पूर्व जॉच (90 प्रतिशत), गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण (95 प्रतिशत), आयरन / फॉलिक एसिड गोलियों के सेवन (85 प्रतिशत), डिलेवरी उपरान्त एक घंटे बाद स्तनपान कराने (83 प्रतिशत), शिशुओं के टीकाकरण एवं पोषण आहार प्राप्त करने (87 प्रतिशत) की स्थिति अच्छी रही है। परन्तु योजना की भावना के अनुरूप 3 माह में पंजीयन मात्र 60 प्रतिशत महिलाओं का ही हुआ है एवं 30 प्रतिशत महिलाओं द्वारा प्रसव पूर्व तीन जॉच नहीं कराई गई हैं, जिसके लिये जनप्रतिनिधियों एवं आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं अन्य माध्यमों से इस संबंध में जागरूकता के लिये प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है।

जिन गर्भवती महिलाओं द्वारा आयरन/फॉलिक एसिड गोलियों का सेवन नहीं किया गया है, उनमें से लगभग 35 प्रतिशत महिलाओं द्वारा इसका कारण गोलियॉ प्राप्त न होना बताया गया है। इसी प्रकार जिन महिलाओं द्वारा पोषण आहार प्राप्त नहीं किया गया है उन्होंने पोषण आहार प्राप्त न करने का प्रमुख कारण आंगनबाड़ी केन्द्र की निवास से ज्यादा दूरी होना (40 प्रतिशत)/आंगनबाड़ी केन्द्र का न होना तथा दूसरा प्रमुख कारण इस संबंध में जानकारी न होना (36 प्रतिशत) बताया है। अतः आयरन/फॉलिक एसिड गोलियों की उपलब्धता एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के संबंध में उचित व्यवस्था बनाने एवं पोषण आहार के संबंध में ओर अधिक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है।

आशा में योजना की वित्तीय एवं तकनीकी जानकारी की समझ सामान्य तौर पर अच्छी पाई गई है। उन्हें लाभार्थियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि, गर्भवती महिलाओं के पंजीयन, जच्चा–बच्चा रक्षा कार्ड बनाने के उद्देश्य, प्रसव पूर्व जॉच की आवृत्ति एवं जॉच के पहलुओं, नवजात को जन्म के एक घंटे बाद ही प्रथम स्तनपान कराने एवं शिशुओं के टीकाकरण के संबंध में अच्छी जानकारी है। परन्तु कुछ विषयों जैसे घर पर डिलेवरी होने (बीपीएल श्रेणी एवं दो जीवित संतानों पर) पर मिलने वाली आर्थिक सहायता, चिन्हित अस्पतालों एवं जननी एक्सप्रेस के नंबर के बारे में तुलनात्मक रूप से कम जानकारी पाई गई है।

आशा में उनके दायित्वों के संबंध में समझ सामान्य तौर पर अच्छी पाई गई है, परन्तु उनके कुछ दायित्व जैसे–गर्भवती महिला को आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में सहायता, शिशु जन्म/मृत्यु की सूचना चिकित्सा अधिकारी को देना, प्रसव के सात दिन पश्चात माता की जॉच सुनिश्चित करना, के संबंध में तुलनात्मक रूप से कम समझ पाई गई है। 80 प्रतिशत से अधिक आशा द्वारा गर्भवती महिलाओं के चिन्हांकन के लिए गृहभेंट का तरीका अपनाया जाना योजना की भावना के अनुरूप है। 50–60 प्रतिशत प्रकरणों में आशा द्वारा सर्वप्रथम गर्भवती महिलओं से भेंट करने, उनको अस्पताल एवं डॉक्टर के बारे में जानकारी देने, अस्पताल में डिलेवरी कराने के लिए प्रेरित करने, डिलेवरी के लिए अस्पताल लेकर जाने एवं प्रसूता के साथ अस्पताल में रूकने में भूमिका निभाई गई है, जबकि इन कार्यों में आशा की ही मुख्य भूमिका है। अतः आवश्यकता है कि इन भूमिकाओं के निर्वहन हेतु आशा को ओर प्रेरित किया जाय एवं समय–समय पर रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किये जाएं जिससे उनकी जानकारी अद्यतन होती रहे। रिफ्रेशरकोर्स में ''न्यूट्रीशन

एण्ड चाईल्ड केयर'' एवं ''फूड एण्ड न्यूट्रीशन'' जैसे कोर्स, जो इंदिरा गांधी ओपन विश्वविद्यालय द्वारा डिस्टेंट लर्निंग के माध्यम से चलाए जाते हैं, को भी शामिल किया जा सकता है। ग्रामवासियों से समूह चर्चा एवं अधिकारियों से चर्चा के दौरान यह बात उभर कर सामने आई है कि जो आशा संपन्न परिवारों से नियुक्त हुई हैं, (विशेष रूप से सागर एवं रायसेन जिले में) उनके द्वारा अपनी भूमिका का निर्वहन पूरी लगन से नहीं किया जाता है। आशा का एक दायित्व परिवार नियोजन के लिये लाभार्थी को प्रोत्साहित करना है, परन्तु अध्ययन अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक आशा के तीन या तीन से अधिक बच्चें हैं। अतः आशा के चयन में इन बिन्दुओं को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है।

योजना की भावना के अनुरूप 80 प्रतिशत से अधिक गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण आंगनवाड़ी केन्द्र पर हुआ है। 70 प्रतिशत से अधिक महिलाओं को प्रसव पूर्व जॉच कराने के लिए दो किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है। इसी प्रकार डिलेवरी कराने के लिए भी 70 प्रतिशत से अधिक महिलाओं को 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है। प्रसवपूर्व जॉच के लिए लगभग 45 प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा ही उपस्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्रयोग किया जाना एवं 28 प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्रयोग किया जाना तथा डिलेवरी के लिए 37 प्रतिशत महिलाओं द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 18 प्रतिशत महिलाओं द्वारा जिला चिकित्सालय का प्रयोग किया जाना इस बात की ओर इंगित करता है, कि उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को और अधिक सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।

जननी एक्सप्रेस सुविधा मात्र 27 प्रतिशत एवं 108 वाहन सुविधा मात्र 3 प्रतिशत लाभार्थियों को ही उपलब्ध हो सकी है। शेष 70 प्रतिशत लाभार्थी अपनी व्यवस्था से अस्पताल गए हैं एवं अस्पताल जाने में 48 प्रतिशत महिलाओं के 200 रू., 38 प्रतिशत महिलाओं के 300–400 रू. तथा 14 प्रतिशत महिलाओं के 500 रू. या उससे ज्यादा राशि खर्च हुई है। इस प्रकार 70 प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा अपनी व्यवस्था से अस्पताल जाना इन सेवाओं को और अधिक व्यवस्थित किये जाने की आवश्यकता प्रदर्शित करता है। वाहनों की मानिटरिंग हेतु जी.पी.एस. (Global Positioning System) के उपयोग पर विचार किया जा सकता है।

लाभार्थियों के अधिकांश (96 प्रतिशत) प्रकरणों में डिलेवरी नर्स द्वारा कराई गई है। परन्तु गैर लाभार्थियों में मात्र 33 प्रतिशत महिलाओं की डिलेवरी प्रशिक्षित दाई द्वारा कराई

गई है एवं 42 प्रतिशत प्रकरणों में परिवार के सदस्य एवं 25 प्रतिशत प्रकरणों में दाई द्वारा डिलेवरी कराई गई है, जो कि सुरक्षित मातृत्व की दृष्टि से उचित नहीं है।

अस्पताल में डिलेवरी कराने पर लाभार्थियों का व्यय (दवाईयॉ, रहने, खानेपीने, डॉक्टर की फीस आदि) विभिन्न जिलों में अलग–अलग रहा है। औसत रूप से लाभार्थी का अस्पताल में डिलेवरी कराने पर व्यय लगभग रूपये 800 रहा है। अस्पताल में डिलेवरी कराने पर कम व्यय होने का एक कारण लाभार्थियों द्वारा अस्पताल में 03 दिन से कम रूकना है।

योजनानुसार सुरक्षित मातृत्व हेतु प्रसूता को 3 दिन अस्पताल में रूकना चाहिए परन्तु प्रसव उपरान्त 41 प्रतिशत महिलाएं मात्र एक दिन एवं 36 प्रतिशत महिलाएं दो दिन ही अस्पताल में रूकी हैं। मात्र 21 प्रतिशत लाभार्थियों का ही प्रसव उपरांत तीन दिन अस्पताल में रूकना इस बात को दर्शाता है कि स्वास्थ्य केन्द्रों को और अधिक सुविधायुक्त बनाया जाए ताकि लोग सुविधाओं/सेवाओं से आकृष्ट होकर स्वास्थ्य केन्द्रों पर आएं न कि सिर्फ आर्थिक लाभ के लालच में आएं। सेवाओं की पहुॅच बढ़ाने के लिये नर्सिंग स्टॉफ के रिक्त पदों की पूर्ति, पलंग एवं स्थान की पर्याप्त व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। समूह चर्चा के दौरान यह बात उभर कर सामने आई है कि कई बार नर्सिंग स्टॉफ/पलंग की कमी के कारण अस्पताल द्वारा प्रसूता को निर्धारित समयावधि के पूर्व ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है।

मात्र 24 प्रतिशत लाभार्थियो को अस्पताल से डिस्र्चाज होते समय प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है, जबकि 50 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों को प्रसव के 7 दिनों के उपरांत ही प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो सकी है। इसी प्रकार मात्र 40 प्रतिशत आशा को ही प्रसव दिनांक से 7 दिन के अन्दर प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। 25 प्रतिशत से अधिक आशा को यह राशि प्रसव दिनांक से 15 दिन से एक माह के अन्द्रर प्राप्त हुई है एवं 23 प्रतिशत आशा को प्रोत्साहन राशि प्राप्त होने में एक माह से ज्यादा का समय लगा है।

योजना के क्रियान्वयन में अध्ययन हेतु चयनित जिलों में काफी भिन्नता परिलक्षित हुई है। उमरिया, सतना, सागर एवं भिण्ड जिले में योजना के क्रियान्वयन की स्थिति तुलनात्मक रूप से कम प्रभावी रही है। योजना की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये उचित होगा कि एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाये जिससे योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा गर्भवती महिलावार/ग्रामवार/जिलेवार की जा सके। शासन निर्देशों के अनुरूप हितग्राहियों

की सूची स्वास्थ्य केन्द्रों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा होनी चाहिए, जो कि सामान्यतः नहीं पाई गई है। अतः इस संबंध में समुचित कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

शिक्षा के स्तर का योजना के क्रियान्वयन के विभिन्न पहलूओं जैसे जच्चा–बच्चा रक्षा कार्ड बनने, पोषण आहार प्राप्त करने आदि पर धनात्मक प्रभाव को देखते हुये आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार–प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जाये, जिससे विभिन्न सेवाओं की प्रभावशीलता अपने आप बढ़ जायेगी।

2.12.2. बलराम ताल योजना–

बलराम ताल योजना को स्थायी आधार पर वर्षा जल के संरक्षण के द्वारा कृषि गतिविधियों को समर्थन देने के लिए वर्ष 2007 मे क्रियान्वित किया गया था। 31 मार्च 2010 तक 7518 किसान इस योजना से लाभान्वित हो चुके है।

वर्तमान अध्ययन को बलराम ताल योजना के प्रभाव के आँकलन के लिए निम्न उद्देष्यों के तहत किया गया।

- योजना की पहुँच एवं विस्तार का अध्ययन।
- लाभार्थीयों द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि का अध्ययन।
- सेवाप्रदाय प्रणाली की प्रभावशीलता एवं प्रदाय प्रणाली में सुधार के लिए कारकों की पहचान करना।

इस अध्ययन के अंतर्गत विभिन्न हितधारकों नामतः कृषि विभाग, राज्य कृषि विस्तार प्रशिक्षण एवं अध्ययन संस्थान (सिएट) भोपाल, योजना के लाभार्थियों एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की राय के आधार पर योजना के विभिन्न घटकों एवं इसकी उपयोगिता का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के अंतर्गत गुणात्मक एवं संख्यात्मक तरीकों का इस्तेमाल किया गया। अध्ययन के दौरान योजना के विभिन्न पहलुओं जैसें कि कृषि उत्पादन में वृद्धि, सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता, योजना में सुधार इत्यादि के लिए विस्तृत प्रश्नावली का निर्माण कर लाभार्थियों पर परीक्षण किया गया। अध्ययन के लिये परपसिव एवं रैन्डम नमूनीकरण की मदद से प्रत्येक कृषि– जलवायु क्षेत्र से एक जिला लिया गया। इस प्रकार झाबुआ, धार, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बलराम ताल योजना का प्रभाव आंकलन मंडला, सिवनी, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, छतरपुर, खरगोन जिलों से कुल 169 लाभार्थियों का विस्तृत सर्वेक्षण अध्ययन के दौरान किया गया।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा अधिकतर जिलों में योजना को सफल बनाने की दिषा में सकारात्मक प्रयास किए गए हैं। जिलों में अपेक्षाकृत कम स्टाफ होने के बावजूद भी योजना की पहुँच जिला मुख्यालय से काफी दूर तक पाई गई। विभाग के विभिन्न स्तर के कर्मचारियों जैसे कि सर्वेयर, ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी की भूमिका इस योजना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण रहीं। मंडला, सिवनी, बालाघाट, जबलपुर जिलों में दुर्गम स्थानों पर तालाब का निर्माण कराने में विभाग द्वारा कृषकों को सतत् सहयोग प्रदान करना, योजना की सफलता का मुख्य कारण रहा है।

बलराम ताल बनने के पष्चात् सिंचाई के पानी की कृषि के लिए उपलब्धता कुछ जिलों को छोड़कर सामान्यतः सभी जिलों में बढ़ी है। इसके साथ ही साथ खरीफ, रबी एवं जायद की फसलों में विभिन्न समय में पानी देने की आवृत्ति में भी वृद्धि हुई है। इस तरह कृषि सूखा (एग्रीकल्चर ड्रॉट) को कम करने की दिशा में बलराम ताल योजना का महत्वपूर्ण योगदान है। सिंचाई के पानी की सतत् उपलब्धता होने के कारण, अधिकतर जिलों में फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है जो खरीफ एवं रबी की फसलो में देखी गई। इस योजना की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों में पानी की उपलब्धता के फलस्वरूप, कृषि सहायक व्यवसायों को समर्थन मिलना है। इनमें प्रमुख रूप से मत्स्य पालन, सब्जी उत्पादन इत्यादि सम्मिलित हैं। इन सहायक व्यवसायों में खासकर, सिवनी, मंडला एवं बालाघाट जिलों में कृषकों का व्यापक रूझान देखा गया । जिसके फलस्वरूप खेती में आय के अलावा, अन्य व्यवसायों से कृषकों की आय में वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत स्वयं के खेत में तालाब होने के कारण, समय की बचत एवं खेतों में पानी पहुँचाने की लागत में, कमी देखी गई। बलराम ताल योजना का भू–जल संवर्धन, परती जमीन को कृषि योग्य बनाने, जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक प्रभाव पाया गया। हाँलाकि बलराम ताल योजना का विस्तार जिलें के अंदरूनी गांवों में देखा गया, अपितु योजना की पहुंच सामान्यतः बड़े कृषकों तक ही सीमित है। योजना के अंतर्गत लागत धनराशि अत्यधिक होने के कारण सीमांत कृषक इस योजना का लाभ लेने में सामान्यतः वंचित रह जाते हैं। हाँलाकि योजना में प्रथम आवे प्रथम पावे के आधार पर आवंटन का प्रावधान है, परन्तु योजना के क्रियान्वयन मे लाभार्थियों द्वारा लगाये जाने वाले धन के अधिक होने के कारण सामान्यतः सम्पन्न कृषक इसका अधिकतर लाभ ले पाते हैं, जिससे जिले वार लक्ष्य तो पूरा

दिखता है परंतु इसमे गरीब कृषको की भागीदारी कम रहती है। योजना में कृषकों को बैंक द्वारा ऋण देने का प्रावधान है, जिससे कि सीमांत एवं छोटे कृषकों को योजना का लाभ दिया जा सकें। हाँलाकि इस संदर्भ में बैंक द्वारा ऋण देने के कोई भी उदाहरण सामने नहीं आयें। यह योजना सीमांत एवं छोटे कृषकों के लिए इस दिशा से भी महत्वपूर्ण है कि कम भूमि होने के कारण वे सतत् रूप में, ज्यादा से ज्यादा फसलों के लिए पानी का उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए विभाग द्वारा इस संदर्भ में बैंक के माध्यम से कृषकों को विशेषकर सीमांत कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास करने चाहिए। बलराम ताल योजना के आवंटन के साथ ही साथ जरूरत मंद कृषकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) के अंतर्गत पम्प का भी आवंटन भी होना चाहिए, जिससे कि कृषकों को दोबारा अनावश्यक कागजी प्रक्रियांओं में समय व्यर्थ न करने पड़े। योजना के सुधार के संबंध में लाभार्थियों एवं विभाग के कर्मचारियों से अध्ययन के दौरान परिचर्चा में अनुदान राशि का कम होना व्यापक रूप में निकल कर सामने आया। अनुदान राशि का निर्धारण प्रचलित सी.एस.आर. दरों के अनुसार किया जाना ज्यादा वास्तविक प्रतीत होता है। इसके साथ ही साथ कुछ जिलों जैंसे कि झाबुआ, ग्वालियर में मिट्टी की पानी सोखने की अत्यधिक क्षमता होने के कारण जल संग्रहण की इस योजना का लाभ उद्देष्यों के अनुरूप लाथार्थियों को नहीं मिल सका है। इस संदर्भ में योजना की संबंधित जनपद/ब्लाक में क्रियान्वयन से पहले मृदा की उपयोगिता का परीक्षण किया जाना अति आवश्यक है।

2.12.3 माइक्रोएरिगेशन योजना–

भारत सरकार द्वारा माइक्रोइरिगेषन योजना वित्तीय वर्ष 2005-06 के माह जनवरी 2006 से स्वीकृत की गई तथा मध्य प्रदेष में इस योजना को इसी वर्ष से लागू किया गया।

योजना का मुख्य उद्देश्य 'माइक्रोइरिगेषन द्वारा पैदावार बढ़ाना तथा जल के उपयोग में मितव्ययता लाना है। माइक्रोइरिगेषन योजना एक सहायता व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत किसान को पौधों की व्यवस्था करने से लेकर फसल के पूर्व का प्रबन्धन तथा विपणन तक सभी स्तरों पर सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इस प्रकार योजना के द्वारा उन्नत कृषि उत्थान हेतु सभी पहलुओं जैसे अच्छी कृषि प्रथाओं, फसलोपरांत हैन्डलिंग तथा

विपणन पर समेकित रूप से ध्यान देना आवश्यक है। जल संसाधनों का विकास तथा जल प्रबंधन के माध्यम से कुँओं का अच्छी तरह से पुनर्भरण भी योजना का महत्वपूर्ण अवयव है।

योजना की प्रति व्यक्ति की कुल लागत को वर्तमान में केन्द्र सरकार, राज्य एवं लाभार्थियों द्वारा एक निष्चित अनुपात में वहन किया जाता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति लाभार्थियों के लिये केन्द्र द्वारा कुल लागत का 40 प्रतिषत, राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिषत तथा लाभार्थियों द्वारा 20 प्रतिषत वहन किया जाता है। जबकि सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के लिये यह अनुपात क्रमषः 40 प्रतिषत, 30 प्रतिषत तथा 30 प्रतिषत है।

वर्तमान अध्ययन को माइक्रोइरिगेषन योजना के प्रभाव आंकलन के लिए निम्न उद्वेष्यों के तहत किया गया है :–

- माइक्रोइरिगेशन योजना के प्रसार, प्रभाव (भूमि उपयोग में बदलाव,पैदावार में वृद्धि, श्रम तथा इनपुट में कमी आदि) का आँकलन करना।
- योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये प्रक्रियात्मक कठिनाईयों तथा क्रियान्वयन ऐजेन्सी की प्रभावशीलता का पता लगाना।
- सेवाप्रदाय प्रणाली की प्रभावशीलता एवं प्रदाय प्रणाली में सुधार के लिए कारकों की पहचान करना।
- योजना के क्रियान्वयन में ''बैस्ट प्रेक्टिसेज'' का संग्रहण करना।

इस अध्ययन के अंतर्गत विभिन्न हितधारकों नामतः उद्यानिकी एवं वानिकी प्रक्षेत्र विभाग, एम.आई.एस. प्रदाय करने वाली ऐजेन्सी/संस्था एवं योजना के लाभार्थियों की राय के आधार पर योजना के विभिन्न घटकों एवं इसकी उपयोगिता का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। इस अध्ययन के अंतर्गत गुणात्मक एवं संख्यात्मक तरीकों का इस्तेमाल किया गया है।

अध्ययन हेतु रैण्डम आधार पर 10 जिलों का चयन किया गया। चयनित जिलों में से लाभार्थियों की संख्यानुसार 25, 40 एवं 60 लाभार्थियों को रेण्डम आधार पर चयनित कर प्रश्नावली के माध्यम से आँकडे एकत्र किए गए। तुल्नात्मक अध्ययन हेतु प्रत्येक जिले से कुछ कंट्रोल कृषकों को भी अध्ययन में शामिल किया गया।

अध्ययन के आधार पर देखा गया कि माइक्रोइरिगेषन योजना के उपयोग उपरांत सिंचाई के रकबे एवं जल स्रोतों में जल उपलब्धता में सामान्तः बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है।

इस योजना की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों में पानी, विद्युत, खाद एवं मजदूरी पर होने वाले व्यय में कमी होने से लाभार्थियों की कृषि संबंधित आय में बढ़ोत्तरी देखने को

मिली है। यद्यपि सामान्य रूप से सभी वर्गों के कृषकों की योजना में भागीदारी दर्ज की गई है, परन्तु मुख्यतः इसमें ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' एवं ''सामान्य वर्ग'' के कृषकों की संख्या अधिक पाई गई है।

अध्ययन क परिणामों से प्रतीत होता है कि ड्रिप प्रणाली की तुलना में स्प्रिंकलर प्रणाली लाभार्थी कृषकों की प्राथमिकता में है। उत्पादकता में वृद्धि योजना के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में सामने आया है। अध्ययन के दौरान यह ज्ञात हुआ कि लाभार्थी कृषकों का उद्यानिकी फसलों का प्रति एकड़ उत्पादन कन्ट्रोल कृषक (जो प्रणाली का उपयोग नहीं कर रहे है) की तुलना में अधिक है।

लाभार्थियों द्वारा प्रणाली के उपयोग उपरांत भूमि के उपयोग में भी बदलाव किये गये हैं। वर्तमान में लाभार्थी कृषक अपनी कृषि योग्य एवं पड़त भूमि का उपयोग उद्यानिकी फसलों के उत्पादन हेतु करने लगे है। इससे यह प्रतीत होता है कि योजना कृषकों को उद्यानिकी फसलों के उत्पादन हेतु प्रेरित कर पाई है एवं उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने की दिषा की ओर अग्रसर है।

आषानुरूप लाभार्थी कृषकों द्वारा योजनांतर्गत लिये गये स्प्रिंकलर प्रणाली का उपयोग उद्यानिकी फसलों में न करते हुये मुख्य फसलों जैसे : सोयाबीन, चना, गेहूँ इत्यादि में किये जाने के मामले सामने आये हैं।

माइक्रोइरिगेषन प्रणाली के रख रखाव संबंधित दिक्कतों का वर्णन सामान्य रूप से हर जिलें में देखने में पाया गया है। माइक्रोइरिगेषन प्रदाय करने वाली संस्थाऐं/ऐजेन्सियां प्रदाय की गई माइक्रोइरिगेषन प्रणालियों के रख रखाव के प्रति बहुत उत्साहवर्धक नही पाए गए। चूँकि लाभार्थी कृषकों के पास भी प्रणाली के रख रखाव हेतु कोई अन्य विकल्प नहीं है। अतः वे आज भी प्रदाय ऐजेन्सियों पर निर्भर हैं। लाभार्थी कृषकों को समान्यतः प्रषिक्षण की आवष्यकता है। विभाग की विस्तार प्रणाली को लाभार्थियों कृषकों की प्रषिक्षण संबंधित समस्याओं करने हेतु और सक्रिय होने की आवष्यकता प्रतीत होती है। अध्ययन की रिपोर्ट तैयार कर उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र विभाग को प्रस्तत की जा चुकी है।

2.12.4 कपिलधारा योजना–

कपिल धारा उपयोजना मध्यप्रदेष सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत एक उपयोजना के रूप में वर्ष 2006 से शुरू की गई। अप्रैल 2008 से इसका परिचालन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अर्न्तगत एक उपयोजना के रूप मे राज्य के सभी जिलों में किया जा रहा है। यह उपयोजना जिलों में निजी कृषि भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्रियान्वित है। चूँकि केवल वर्षा आधारित एवं सिंचाई सुविधा विहिन कृषि क्षेत्रों में वर्षा की अनियमितता अथवा कमी के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। इसलिए यह माना गया कि उन क्षेत्रों मे जहॉ अपेक्षाकृत पिछड़े परन्तु जागरूक कृषक जिनके पास समुचित कृषि भूमि है और जो कृषि हेतु अधोसंरचनात्मक व्यवस्थाऐ जुटाने में सक्षम हैं, को यदि कृषि भूमि की सिंचाई हेतु पानी का कारगर स्त्रोत उपलब्ध करा दिया जाये तो कृषि उत्पादन में सुनिश्चितता तथा कृषकों की आजीविका में गुणात्मक सुधार संभव है।

कपिल धारा उपयोजना का अध्ययन निम्न उद्देष्यो के अंतर्गत किया गया।

- कपिल धारा उपयोजना के प्रसार का पता लगाना।
- लक्षित समूह तथा क्षेत्रों में उपयोजना के प्रभावों की जाच करना।
- योजनान्तर्गत सेवाप्रदाय प्रणाली की प्रभाविकता का अध्ययन करना एवं सेवा प्रदाय प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव/प्रस्तुत करना।
- कपिल धारा उपयोजना का अन्य सरकारी योजनओं के साथ अभिसरण का पता लगाना।

अध्ययन के अंतर्गत लक्षित उद्देष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोजना से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे की हितग्राहियों एवं उपयोजना संबंधी आवष्यक जानकारी एवं दस्तावेज, क्षेत्र की सामान्य सामाजिक जनसांख्यिकीय प्रोफाईल, उपयोजना से समुदाय को जोड़ने और सहभागी बनाने संबधी प्रयासों की जानकारी, परियोजना से संबंधित दस्तावेज़ों तथा उद्यानिकी विभाग द्वारा कराये गये आधारभूत सर्वेक्षण, शोध एवं अध्ययन रिपोर्टों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया।

अध्ययन में लाभार्थियों की विभिन्नता को पाने हेतु प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र वर्गीकरण को आधार बनाया गया। इस प्रकार प्रदेश के 11 (ग्यारह) कृषि जलवायु क्षेत्रों में से एक–एक जिले को रैण्डम आधार पर अध्ययन हेतु चयनित किया गया तथा प्रत्येक जिले से निम्न श्रेणियों मे से 50 लाभार्थियों का चयन किया गया है:–

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
- गरीबी रेखा से नीचे
- भूमि सुधार के लाभार्थी
- इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी

इस तरह अध्ययन के लिए कुल 550 लाभार्थियों का चयन किया गया।

अध्ययन के उद्देषों के संबंध में जानकारी एकत्र करने हेतु प्रष्नावली का निर्माण किया गया जिसे सहज एवं सरल भाषा में बनाया गया, जिससे कि उत्तरदाता को आसानी से समझ में आ सकें। इस प्रश्नावली का निर्माण मुख्यः संख्यात्मक आँकड़ों को इकट्ठा करने के लिए किया गया तथा इसमें कपिल धारा उपयोजना के विभिन्न पहलू पर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त इस प्रश्नावली से व्यक्तिगत जानकारियों को इकट्ठा करने का प्रयास किया गया जिससे लाभार्थियों में आपसी भिन्नता का उपयोजना के प्रभावों से संबंध देखा जा सके। अध्यात्मक आंकड़ों की विविधता एवं पहुँच को पूर्ण करने के लिए इनकी गुणात्मक आँकड़ों से भरपाई की गई। जिनका संग्रहण पार्टीसीपेटोरी रूरल अप्रेज़ल (पी.आर.ए) तकनीकों जैसें लक्षित समूह चर्चा, टाईम–लाईन एक्सरसाईस आदि के माध्यम से किया गया। प्रश्नावली निर्माण पश्चात् इसकी उपयोगिता की जाँच करने के लिए लाभार्थियों के साथ पायलट परीक्षण किया गया तथा इसके आधार पर प्रश्नावली को सुचारू रूप दिया गया।

कपिल धारा उपयोजना प्रभाव के अध्ययन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना द्वारा अधिकतर जिलों में उपयोजना को सफल बनाने की दिशा में सकारात्मक प्रयास उभरकर आये है। जिलों में कर्मचारियों की कमी होने के बावजूद उपयोजना की पहुँच लगभग सभी गाँवो तक है। विभाग द्वारा उपयोजना की पहुँच तथा जानकारी बढ़ाने हेतु कई सार्थक कदम उठाये गये है। जैसे बैंकों द्वारा मजदूरी का भुगतान एवं जानकारियों का कम्प्यूटरीकृत करना। अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि कपिल धारा उपयोजना क्रियान्वन उपरान्त कृषि के लिए पानी की उपलब्धता अधिकतर जिलों में बढ़ी है। उपयोजना के कारण कृषि पैदावार तो बढ़ी ही है साथ ही साथ लाईव–स्टॉक और उद्यानिकी पर भी इसके सकारात्मक प्रभाव देखने में आए हैं। उपयोजना के कारण रोजगार के नये विकल्प भी लाभार्थियों को उपलब्ध हुए हैं। सिंचाई में लगने वाली विभिन्न लागतों जैसे बिजली, पाइप, डीजल इत्यादि में भी काफी कमी आई है। उपयोजना के चलते लाभार्थियों की आय में वृद्धि पाई गई है। उपयोजना अंतर्गत निर्मित संरचनाओं के कारण सभी जिलों में अब ज्यादा से ज्यादा पड़त भूमि पर भी कृषि एवं उद्यानिकी करना

संभव हो पाया है। कपिल धारा उपयोजना का विस्तार राज्य के अन्दरूनी गाँव तथा सीमान्त किसानों तक देखा गया हैं। उपयेाजना अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा लाभ गरीबी रेखा से नीचे के किसानों को दिया गया है। उपयोजना के विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन के लिए समय–सीमा संबंधित स्पष्ट निर्देष के आभाव में कुछ जिलों में लाभार्थियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। कपिल धारा कुँओं के साथ पुर्नभरण संरचनाओं के निर्माण की जो अपेक्षाऐं उपयोजना के अंतर्गत की गई थी, किन्तु यह प्रक्रिया कुछ जिलों में अपेक्षाकृत कमजोर पाई गई। कुछ संरचानाओं में बाउण्ड्री वाल का निर्माण नहीं हुआ था तथा अधिकांष संरचनाओं में पुर्नभरण को लेकर अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिल पाई। यहां तक की आधे से ज्यादा जिलों में पुर्नभरण संरचनाओं को बन्द पाया गया। उपयोजना अंतर्गत सिर्फ कुँओं का निर्माण किया जा रहा हैं जो पूर्ण रूप से भू–जल पर निर्भर हैं और जिन जिलों में भू–जल का स्तर कम है वहां या तो कुँओं में पानी ही नहीं रहता है या जल्दी सूख जाता है। कपिल धारा उपयोजना के आँवटन के साथ ही लाभार्थियों को अन्य योजनाओं के अंतर्गत पम्प का आँवटन और कृषि हेतु सामग्री जैसे : बीज, ऊर्वरक इत्यादि का भी वितरण किया जाना चाहिए था जो कि संभव नही हो सका। उपयोजना के सुधार के संबंध में लाभार्थियों ने अनुदान राशि का पूर्ण रूप से और समय पर भुगतान ना होना भी एक बड़ी समस्या के रूप में निकलकर सामने आया।

2.13 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग एवं समन्वय के प्रयास–

डॉ. आशीष द्विवेदी, लेक्चरर इन इन्फार्मेशन साइंस, हल यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ हल द्वारा जननी सुरक्षा योजना के प्रभाव के अध्ययन में तकनीकी सहयोग प्रदान करने की सहमति बनी जिसके तहत योजना के आँकड़ो के बहुआयमी विश्लेषण में हल बिजनेस स्कूल द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।

भारत में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के क्षेत्र में किए गए ''खेती'' तकनीक के प्रसार की दिषा में शेफील्ड हलाम विष्वविद्यालय यू.के. के प्रोफेसर एण्डी डीयरडेन एवं डॉ. एस.एम. हैदर रिजवी, संचालक (नीति विष्लेषण) सुषासन एवं नीति विष्लेषण स्कूल के बीच सहयोग जारी रहा।

नेषनल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर की शोध छात्रा सुश्री अनन्या समजदार ने स्कूल में इंस्टीट्यूषनल फैलो के रूप में अप्रैल 2010 तक कार्य किया तथा स्कूल के कोर स्टॉफ द्वारा उनके पीएचडी शोध में विधिवत अकादमिक सहयोग प्रदान किया गया।

––00––

अध्याय – तीन

सेमीनार/कार्यशालाऐं

3.1 सामान्य प्रषासन विभाग एवं सुषासन एवं नीति विष्लेषण स्कूल के सम्मिलित प्रयास से कार्यषाला –

"Moving Towards Good Governance :Dissemination of Good Practices and Strategies for Adoption" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 29 मई 2010 को होटल जहॉनुमा पैलेस में सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, तथा सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल, भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इसमें मध्यप्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारियों एवं 05 सभांगीय आयुक्त एवं 10 जिलाध्यक्षों की सहभागिता रही। कार्यशाला का उद्घाटन महामहिम श्री शेखर दत्त, राज्यपाल छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया। संघ लोकसेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.), के अध्यक्ष डॉ. डी.पी. अग्रवाल ने विषिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर कार्यषाला में अपना उद्बोधन दिया। कार्यशाला में 21 अप्रेल 2010 को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरूस्कार से सम्मानित 08 बेस्ट प्रेक्टिसेस तथा मध्यप्रदेश राज्य की चयनित 02 बेस्ट प्रेक्टिसेस का प्रस्तुतिकरण किया गया।

बेस्ट प्रेक्टिसेस के प्रस्तुतिकरण उपरांत मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में विशेष चर्चा सत्र "Exploring Areas for Adoption,Adaption and Up Scaling of Good Practices in the Context of Madhya Pradesh" विषय पर आयोजित किया गया, जिसमे मध्यप्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य राज्यों से आये प्रतिनिधियों की सहभागिता रही।

––00––

अध्याय – चार

वित्तीय प्रतिवेदन

वर्ष 2010–11 में स्कूल के लिए रूपये 600.00 लाख का बजट प्रावधान निम्नानुसार प्रस्तावित था –

मान संख्या – 01

मुख्य शीर्ष – 2052 – सचिवालयीन सामान्य सेवायें

राज्य आयोग (सामान्य) – 101

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल की स्थापना (5163)

मद		**राशि (लाख रूपयों में)**
001–अद्योसंरचना अनुदान	–	400
002–संधारण अनुरान	–	200
योग		**600**

उपरोक्तानुसार आहरित राशि से वर्ष 2010–11 में रूपये 543 लाख का व्यय किया गया है।

––00––

अध्याय – पाँच

स्कूल/कोर स्टाफ को प्राप्त सम्मान

5.1 आईडियाज फार सीएम वेबसाईट को पब्लिक पार्टिसिपेषन श्रेणी में ''वेबरत्न अवार्ड (सिल्वर आईकन)''–

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2009 से विभिन्न श्रेणियों हेतु ''वेबरत्न अवार्ड'' की स्थापना की गई है। आम जनता को सुषासन एवं विकास से वैचारिक रूप से जोड़ने एवं उनके अनुभव और ज्ञान के अपार भण्डार का लाभ प्रदेष के विकास की प्रकिया में लेने के लिए स्कूल एवं शासन के सम्मिलिलत प्रयास ''आईडिया फार सीएम'' वेबसाईट को पब्लिक पार्टिसिपेषन श्रेणी में ''वेबरत्न अवार्ड–2009 (सिल्वर आईकन)'' सामान्य प्रषासन विभाग तथा मान. मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों तथा स्कूल के कोर स्टाफ को सम्मिलित रूप से सूचना प्रोद्योगिकी विभाग, भारत सकार द्वारा अप्रैल 2010 में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक पुरस्कार समारोह–2010 में प्रदान किया गया। स्कूल की ओर से इस वेबसाईट से संबंधित कार्य का समन्वय श्री अखिलेष अर्गल, संचालक (सुषासन) द्वारा किया जाता है।

5.2 KHETI परियोजना के लिए डॉ. एस.एम. हैदर रिजवी, संचालक (नीति विष्लेषण) की प्रोग्राम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (USA) द्वारा सराहना–

डॉ. एस.एम. हैदर रिजवी, संचालक (नीति विष्लेषण) द्वारा KHETI योजना पर किये गये काम की प्रोग्राम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट **(**USA**)** ने एक सफल कार्य की श्रेणी में चुन कर KHETI पर आधारित लेख अपनी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में प्रकाषित किया।

––00––

अध्याय – छः

कोर स्टॉफ द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विशिष्ट कार्यक्रमों में तकनीकी योगदान

- Dr. H.P. Dikshit, on invitation of the Governor of Chhattisgarh, addressed a meeting on 14/07/2011 of around 200 Principals, Vice Chancellors and other Educationists on ***Identifying Measures for Improving Quality of Higher Education***. The meeting was chaired by the His Excellency Shri Shekhar Dutt, Governor of Chhattisgarh.
- Dr. H. P. Dikshit addressed a workshop under a satellite conference of ICM 2010 at New Delhi on 14/08/2010 on issues which also included applications to processes of Governance.
- In August 2010, India for the first time organized the prestigeous International Congress of Mathematicians which is held once in four years. Besides international organizations, the Department of Atomic Energy, Government of India sponsored the Congress. Dr. H.P.Dikshit was on the Organising Committee for the Congress and also chaired a session of the congress on 19/08/2010 at Hyderabad.
- On behalf of the Government of Madhya Pradesh, Dr. H. P. Dikshit made a presentation on the Right to Service Act, 2010 of Government of Madhya Pradesh in a Conference of State Secretaries dealing with Administrative Reforms organised by Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Government of India on 24/09/2010 at New Delhi. The presentation was commended by the Secretary Department of Administrative Reforms and Public Grievances. It also roused interests of other participants especially State Secretaries from Bihar and Himachal Pradesh, who were provided with further information and support for introduction of a similar Act in their states by the School.
- Dr. H. P. Dikshit continued to serve as a Member of the Project Management Committee for conduction of Mid-Career Training Programmes of Government Officials at Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie.
- As a member of a Committee consiting of 5 experts constituted by the Principal Scientific Adviser to the Prime Minister Dr. H. P. Dikshit contributed to development of a Policy and processes for identification and nurturing of gifted children in the country..
- Dr. H. P. Dikshit addressed the Silver Jubilee Function of Indira Gandhi National Open University, New Delhi on 01/10/2010.
- Dr. H. P. Dikshit delivered Presidential Address at an International Design Workshop 2010 organized by the Indian Institute of Information Technology and Design and Manufacturing, Jabalpur on 11/10/2010.
- Shri Akhilesh Argal, Director (Governance) participated in two days "Regional Conference on Excellence in Public Service Delivery and Role of e-Governance" at Goa Institute of Rural Development & Administration, Goa.
- Shri Akhilesh Argal, Director (Governance) participated in two days Training Workshop on "Climate Change and Forestry- Exploring New Financial

Instruments" from Jan 20-21,2011 at The Energy and Resources Institute (TERI), New Delhi.

- Asia and Pacific Regional Annual Review Meeting for Information Communication and Technology for Development (ICTD) in International Fund for Agriculture Development (IFAD), Asia was held during November 01 -04, 2010 at Nanning, China. Dr. S. M. Haider Rizvi, delivered a lecture as an expert in a mini-workshop on Information Communication and Technology for Development (ICTD) for IFAD Staff during the foregoing meeting.
- Dr. S. M. Haider Rizvi provided Expert inputs in Regional Consultative Meeting of Decentralisation Community of United Nations India Solution Exchange at Jabalpur on 11/11/2010.
- Dr. S. M. Haider Rizvi, Director (Policy Analysis) has delivered a lecture as Panellist on Rural e-Services Delivery in 14th National e-Governance Conference 2011 organised by Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Ministry of Personnel and Public Grievances, Government of India 10th February at Aurangabad, India.
- ऋचा मिश्रा, कार्यक्रम समन्वयक (सुशासन) द्वारा ''गरीबी कम करने के लिए क्षमता संर्वधन'' परियोजना अंतर्गत "शाला प्रबंधन" विषय पर मॉड्यूल विकसित किया गया था। उन्हें मध्यप्रदेश के 10 जिलों के मास्टर ट्रेनर्स विकसित करने के लिए प्रशासन अकादमी द्वारा माह मार्च 2011 में अधिकारियों के तीन दिवसीय कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया गया।

––00––

अध्याय – सात

स्कूल की गवर्निंग बॉडी एवं एक्जीक्यूटिव बॉडी

7.1 स्कूल की गवर्निंग बॉडी –

स्कूल की गवर्निंग बॉडी निम्नानुसार है

1.	माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश	अध्यक्ष
2.	माननीय मंत्रीजी, वित	सदस्य
3.	माननीय मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास	सदस्य
4.	माननीय मंत्रीजी, नगरीय प्रशासन एवं विकास	सदस्य
5.	माननीय मंत्रीजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	सदस्य
6.	माननीय मंत्रीजी, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण	सदस्य
7.	माननीय मंत्रीजी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय	सदस्य
8.	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
9.	महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी.प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य
11.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
12	संचालक, भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर	सदस्य
13	राज्य शासन द्वारा नामांकित प्रशासन एवं प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े अधिकतम पाँच सदस्य	सदस्य
14	महानिदेशक, सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल	सदस्य सचिव

सरल क्रमांक 13 के प्रावधान के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11–8/2007/1/9 दिनांक 22 अप्रैल 2008 द्वारा निम्नांकित पॉच सदस्यों को आदेश दिनांक से अशासकीय सदस्य के रूप में गवर्निंग बॉडी हेतु नामांकित किया है–

1. डॉ. सोमपाल शास्त्री, उपाध्यक्ष योजना आयोग, मध्यप्रदेश
2. डॉ. बकुल ढोलकीया, पूर्व निदेशक, आईआईएम अहमदाबाद
3. डॉ. एम राय, महानिदेशक, इण्डियन काउन्सिल फॉर एग्रिकल्चर रिसर्च, भारत सरकार

4. डॉ. बी.एस. बासवान, निदेशक, आईआईपीए, नई दिल्ली

5. डॉ. राजीव करदिनकर, उपाध्यक्ष कैन्स साफ्टवेयर बेंगलोर

नामांकित सदस्यों का कार्यकाल प्रारंभ में दो वर्ष का रहेगा जिसे राज्य शासन द्वारा बढाया भी जा सकता है।

7.2 स्कूल की एक्जिक्यूटिव बॉडी –

स्कूल की एक्जिक्यूटिव बॉडी निम्नानुसार है

क्र.	सदस्य नाम/पद	धारित पद
1.	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	सदस्य
8.	शासन द्वारा नामांकित अधिकतम पांच अशासकीय सदस्य	सदस्य
9	महानिदेशक, सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल	सदस्य सचिव

सरल क्रमांक 8 के प्रावधान के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11–8/2007/1/9 दिनांक 22 अप्रैल 2008 द्वारा निम्नांकित पॉच सदस्यों को आदेश दिनांक से अशासकीय सदस्य के रूप में एक्जीक्यूटिव बॉडी हेतु नामांकित किया है–

1. डॉ. डी.के. बन्धोपाध्याय, निदेशक, आईआईएफएम भोपाल
2. डॉ. वेद प्रकाश, वाइस चान्सलर, नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एज्यूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली
3. प्रो. एस.सी. गर्ग, पूर्व प्रो–वाइस चान्सलर, इग्नू
4. डॉ. डी.एम. पेस्टोनजी, पूर्व प्रोफेसर, आईआईएम, अहमदाबाद
5. प्रो. कर्मेषु, प्रोफेसर डिपार्टमेन्ट ऑफ सिस्टम साइन्स, जेएनयू, नई दिल्ली

नामांकित सदस्यों का कार्यकाल प्रारंभ में दो वर्ष का रहेगा जिसे राज्य शासन द्वारा बढाया भी जा सकता है।

––00––

अध्याय – आठ

परिशिष्ट

8.1 MPRLP का अध्ययन सारांश (Executive Summary)–

1. **Introduction-**The study is aimed to 'Assess the Improvements in Quality of Life of MPRLP Beneficiaries in tribal districts of Madhya Pradesh'. An ex-post facto research design has been used for the study, as the interventions were either already made or are ongoing. The data on the impacts have been collected using qualitative and quantitative techniques. A sample of 1440 respondents i.e. 1080 beneficiary households from 54 project villages and 360 respondents from 18 control villages across nine districts under the MPRLP interventions was included in the study.
2. **Reach and Coverage of the Project**
   - The study to assess the impacts of MPRLP in the lives of people has been revealing in many respects. There were areas which were part of the research design and where deliberate efforts were made to gauge the impacts but there were certain areas which have emerged in the process. One of the commendable aspects of the project emerged was the reach of the project. The efforts made by the project to reach to last mile have been meaningful. The beneficiaries were not only found aware about the project but they also relate with project functionaries at various levels especially those who were deployed at the grassroots - the Ajeevika Mitras/Sakhis.
   - The composition of the project beneficiaries was found very equitable. As per the socio-economic realities of the areas the tribal populations covered in the beneficiaries were about 81%. Further the coverage of people at the lower strata of the society in the intervened districts was covered very justifiably. The well-being ranking introduced by the project further boosted the chances of the getting the poor and marginalized included in the social security net created by the project.
3. **Gram Sabha Strengthening**
   - The findings of the study fully supported the basic assumptions made by the project .i.e. considering the Gram Sabhas (GSs hence after) as the basic unit of ensuring participatory democracy and bringing positive development changes in the lives of the people. The findings revealed that the project could strengthen not only the GS as an institution of governance but also made efforts to run the processes of the governance for promotions of livelihoods.
   - The holistic approach adopted by the project for strengthening the GSs was highly appreciative. The agreement of people on the efforts made by the

project and its functionaries on the initiatives taken and their impacts in the lives of people was very evident and supported by data. Making information available locally and getting those translated in action for the economic returns might be considered as one of the biggest take of the project.

- The study revealed that the Gram Sabhas in MPRLP intervened villages have been strengthened considerably. The functioning of Gram Sabhas in project villages were found better on the parameters of frequency of meetings, participations in meetings, conduction of meetings, transparency of accounts, initiation and execution of development works, accountability of Gram Sabha functionaries etc. than control villages Gram Sabhas. Also, the participation of the disadvantaged groups like women and BPL groups were found considerably high in project villages. The difference in level of strengthening could be dedicated to MPRLP as the villages and respondents were more or less similar on almost all variables. This finding was supplemented by the data generated through PRA exercises with the community.
- One of the noticeable findings of the study was that in MPRLP intervened villages the attendance of the disadvantaged groups like women and marginalized families has significantly enhanced in the Gram Sabhas over a period of time. Gram Sabha has made significant efforts to extend benefits to the people by way of providing information on the government schemes, seeking benefits from the schemes leading to subsequent increase in income.
- There was an absolute agreement among the beneficiaries on Gram Sabha raising and deliberating various aspects of the livelihood promotion issues. The participation in the GS meeting was found useful by the people and they agreed that the participation helped them in getting benefits especially taking benefits of the governmental schemes.
- The responses from some of the villages were not very encouraging and give rise to some of the speculations that when the similar set of interventions, people and approaches are applied across various districts in project villages then why it is not able to pay equal dividends. What are those 'things' which are missing in these districts and why these districts kept on lagging behind?
- In project villages the role of Gram Sabha in the dissemination of information about the Right to Information Act did not emerge very prominent. Role of Gram Sabha in project villages in providing livelihood support to the poor and facilitating the benefits of government programmes to the people emerged quite emphatically in the study. It was also noticed

that the role of the Gram Sabha towards the designing and monitoring of the developmental plans has been strengthened in the project villages.

- The scenario in the project villages was found somewhat similar to that in control villages towards the role played by the gram Sabha in the eradication of the social evils.

4. Empowering the Poor

- The findings revealed that in the project villages of phase I as well as phase II the GSs could be strengthened to a great extent and have been instrumental in setting-up most of the mechanisms for empowerment of people, promotions of livelihoods opportunities and provisions for monetary support for the beneficiaries. The MPRLP beneficiaries found agreed on the effectiveness of GSs and opined heavily in favour of GS initiatives.
- In the opinion of the beneficiaries of the project villages, in most of the cases decisions at the level of Gram Sabha have been taken mostly in a participatory manner across phase I and phase II villages. In project villages about 55% beneficiaries said that their participations were ensured in decision making processes but in control villages only 30% agreed on it.

5. Enhancements in Income as a Result of Participation in MPRLP/Government Programmes

- The study revealed that due to MPRLP interventions there has been enhancement in the income of the beneficiaries across the project villages. It was found absent when explored in control villages in relation to other governmental programmes. The findings suggested that MPRLP played vital role in the development of the agriculture and allied activities of horticulture, water conservation etc. People in the project villages are utilizing the enhanced income for the purpose of savings, returning loans and for household works.
- In control villages other government programmes were not able to impact much in terms of enhancement of the income of respondents when compared with project villages. The annual enhancement reported by project beneficiaries in phase I was Rs 4025 and in phase II it was Rs 4972 whereas in control villages it was only Rs 747.
- The uses of the enhanced income were spent mainly in household related expenses as reported by 79% in project villages and 81% in control villages. 22% beneficiaries in phase I and 33% in phase II and only 4% respondents in control villages mentioned that they utilised the income in business activities, as well. But in project villages the enhanced income was spent not only in expenditures rather it also contributed in savings of the family by the households because about 38% beneficiaries in project villages as compared to only 10% in control villages agreed on it.

6. Access of Service

- The study revealed that MPRLP has enabled its beneficiaries with a holistic approach and had tried to make inputs available in various areas leading to the ameliorations in the livelihoods. The enhancements in the agricultural resources and increase in the agriculture productions in villages across nine project districts were supportive of this finding.
- Study revealed very emphatically the rise in agricultural services in project villages. On an average it was observed that about 50% beneficiaries admitted that they have given agriculture inputs and facilities against only 5% in control villages have access to the agricultural services and facilities provided by government agencies. In control villages the activities related to agriculture services largely confined to government programmes were not able to enhance the access to the services, much. As a result of the interventions in the agricultural support system, most of the beneficiaries responded towards enhancement in the agriculture yield.
- On water conservation front, the project was not doing something different than what was on in the control villages. Though most of the beneficiaries responded favorably to the existence of any scheme of water conservations with the help of MPRLP yet in control villages more number of people reported about the efforts made by government in this area. Under types of water conservation schemes wells and stop dams has emerged prominently at many places both in project and control villages.
- The efforts made in establishment of the micro enterprises were not at par with the other interventions made under the project. This might be because of the limited financial resources available with the project. However wherever it has been established, the income level of the beneficiaries has been increased. The study revealed that in project villages there was an increase in income of the beneficiaries who are associated with the micro enterprise. However the project was not able to cover large number of beneficiaries under this activity.
- The study revealed that the project has helped people in a holistic manner and due to the project interventions the people in the area are now getting more opportunities to earn their livelihood in the field of livestock development. People admitted that due to the interventions of MPRLP more number of animals is now being immunized as compared to pre-project period, which resulted in decrease in the expenditure on treatments of the animals and ultimately have reduced the feed and management of the animal.
- In the view of the beneficiaries of the project villages, MPRLP did little towards enhancing access of the government supported Crop and Health

insurance to the villagers. In most of the districts more than 90 percent respondent expressed their views negatively.

7. Loan Patterns

- The study reveals that the people in the project villages take loans but the frequency and sources of taking have seen positive changes due to MPRLP interventions. People admitted that the frequencies got reduced and the exploitations in borrowing the loans have been lessened.
- The major reason for taking loans in project villages were for marriages/social commitments, scarcity of food materials and agriculture purposes. The same trend was observed in control villages too but the sources of taking loans were found different. In project villages, money lenders and Gram Sabhas were reported as the major sources for taking loans where as in control villages it is mainly money lender.
- The livelihood opportunities created by MPRLP and the facilitations in the formations of SHGs have helped them tremendously. The beneficiaries agreed that MPRLP has been able to generate livelihood opportunities at the village level which resulted in the enhancement of income of the families and reduced the frequency of taking loans. The study revealed that majority of beneficiaries in project villages take loan once in a year and in control villages it is twice a year.
- The study explored that the major sources of taking loans among others were GS and SHGs in project villages. It shows that due to the interventions of MPRLP the Gram Sabha has been empowered enough to work as micro-finance institution to some extent, unlike the control villages where still people are dependent on money lenders for taking loans and that too on higher interest rates.
- The study revealed that the beneficiaries in project villages return their loans within the time limit as compared control villages. It showed that due to MPRLP interventions beneficiaries have more livelihood options in project villages as the economic standard of the beneficiaries has increased which resulted in timely return of loans and also in doing some saving.

8. Community Based Organisations (CBOs) – Participation and Benefits

- Project has been able to develop a culture of group activities and facilitated the involvement of people in the activities of Community Based Organizations (CBOs) and meets their expectations. Systematic processes were found in place to motivate the people through Livelihoods Promoters and Project Facilitation Teams. The efforts made by the project officials have culminated in enhanced level of satisfaction in comparison to the control villages.

- The control villages did not have any systemic processes to bring about people's motivation as most of the villagers are motivated by their fellow villagers. Government officials did not seem to play any meaningful role in this regard and people were found least motivated to associate with government scheme.

9. Migration

- Migratory pattern in search of livelihoods opportunities was more or less similar across the project as well as control villages. The efforts towards capacity building of the people who are migrating in search of jobs are minimal.
- There have been contradictory views expressed by the respondents on migration. In qualitative exercises it emerged that after the advent of the project there was a significant reduction in migration and reasons for migrations were not mainly because of non-availability of livelihoods opportunities rather majority of the migration was in want of getting better money and the urban living and entertainments.

10. Training under MPRLP/ Government Schemes

- The study revealed that in project villages there was very few training programmes had been organized under MPRLP interventions. But it was found better than the control villages where such training programmes were nearly absent.

11. Facilitation in Traditional enterprises by MPRLP

- There are little instances of the MPRLP interventions towards facilitation in the development of the traditional enterprises, except in one or two districts under project interventions. In the project villages, traditional enterprises activities were visible at a small scale, whereas in control villages it is nearly absent

12. Awareness about Micro Plan and It's Implementations

- In the project villages the concept of micro plan has been clear to most of the households under MPRLP interventions. They knew that the micro plan is key through which the overall development of the villages can take place which will ultimately result in the enhancement and improvement of the livelihood opportunities of the villagers. Livelihood promoters and PFT members had actively contributed in the preparation of the Micro Plan.

13. Benefit of the Government Schemes Facilitated By the Project

- The project activities enabled the beneficiaries to take the benefits of governmental scheme. It could have been possible because of the sensitization measures taken by Gram Sabhas and Livelihoods promoters in project intervened villages and the inbuilt provision of convergence in the scheme.

The beneficiaries of the scheme were able to get the benefit of MNREGA with the help of MPRLP.

- People were found benefitted by Governmental Schemes such as L.L.Y, *Nirashrit* Pension, *Swajal Dhara* Scheme and NREGS with facilitation from MPRLP.

14. Gender Equity and Women Empowerment

- The study explored that wide ranging reforms has been carried out under the project. The selection of females as beneficiaries under the scheme is a part of such initiative. It is seen that large numbers of women were associated with the project in different forms such as project beneficiaries, livelihood promoters, PFTs, member of SHG's etc. Further with the project interventions, participation of the women in Gram Sabha meetings has been enhanced. Being associated with the project, their say in the household decisions has also been enhanced.
- Women participation in project activities has also helped in reducing social evils particularly domestic violence. It has also resulted in increased instances of women raising their concerns and taking parts in the decision-making processes in the family.
- The other noticeable contribution done by the project in the women's sphere of life was related to the initiations and promotions of *Gobar Gas Plants and Smokeless Chulhas in* the project villages. Sizeable number of plants could be seen in the project villages during the field visits and was also reported by the beneficiaries in the PRA exercises. As a result of these initiatives the women who otherwise were directly affected (physically, physiologically and mentally) were found more comfortable.
- The other examples of women empowerment could be seen of them being involved in income generating either individually at the family level or in group. The vegetable cultivations, beads making and poultry were some the initiatives where quite good number of women in project villages were involved and as a result there was betterments in their socio-economic realities.

15. Environmental Impacts – the Use of Non-Conventional Energy

- It has been seen that MPRLP converged with government departments towards enhancing the access of the energy to the needy people. In this regards the promotions of bio-gas plants (*Gobar Gas*) and smokeless stoves have been started. For the construction and maintenance of the bio-gas equipments person at the local level had been trained, which enhances the long term viability of such reforms. In these initiatives the project has achieved not only the goals of environment protection but also provided fuel

to the local families by the using cattle dung, reduced the cutting of jungles, protected the forests and safeguarded the well-beings of the women.

16. Emergency Fund

- There were instances of existence of the "Emergency funds" in some of the districts under the project. This fund is used to support the sudden and emergent requirements of the villagers locally without hassles. It is an innovative concept of facilitating the local people with the monetary support thus minimizing their dependency on money lenders.

17. Salient Impact Areas

- The finding suggested that besides the role of MPRLP as a project the other factors such as the terrain, people and their socio cultural realities, the capacities of MPRLP functionaries the approaches and allocation of resources might have played pertinent roles.
- The study revealed the practicality of the approaches adopted by the project. It seems that the functionaries did not suffice only on providing information rather they facilitated in 'use of information' and securing benefits from that information. The finding on the role of motivators and benefits from attending GS meeting has confirmed these notions.
- The poor performance on various parameters in Sheopur has reasons to explore the factors which might have contributed to the debacle e.g. the familiarity/ awareness with LP (Ajeevika Mitra/ Sakhi) with LP in Sheopur was reported by 7% beneficiaries only. The programme and functionaries being intact and of uniform nature, the Sheopur saga is beyond plan expectations.
- One of the important trends which could be seen from the findings of the study is that the roles of the project in various walks of the life have been appreciated by the beneficiaries. There were hardly any occasion when the positive impacts of the programmatic interventions under MPRLP were denied in totality. There has been difference of impacts within districts but those might not be evidences to negate the impacts as such.

8.2 वर्ष 2010–11 में इंर्टस द्वारा किये गये अध्ययन की सूची –

S.N.	Name of Intern	Name of the Institute	Name of the Department to which Intern is attached	Topic Assigned
1	Mr. Nishant Kumar	XIM-Bhubaneswar	Urban Administration and Development	Impact Assessment of centrally sponsored scheme-JNNURM
2	Mr. Soumyasankha Maiti	XIM- Bhubaneswar	Urban Administration and Development	Identification of Implementation Hindrances and recommendation of mitigation measures in Project UDAY, Bhopal.
3	Mr. Bibekananda Panda	XIM- Bhubaneswar	Commerce, Industries and Employment	Study of Job Fairs organized by the Department of Industries and Commerce, Madhya Pradesh
4	Mr. Ravindra Kr. Jena	XIM- Bhubaneswar	Commerce, Industries and Employment	Career Counseling Scheme in Madhya Pradesh -A study of three districts.
5	Mr. K.V.Gopa Kumar	IIT-Kanpur	Narmada Valley Development Authority	Study for Expeditious Processing of Environment Clearances for Projects of Narmada Valley Development Authority (NVDA)
6	Mr. Chetak Chauhan	IIT-Kanpur	Water Resources	Process Mapping of the Court Cases as a pre requisite for an Online IT System
7	Ms. Ruchira Vats	XIB-Bhuvneshwar	water Resources	The restructuring and rightsizing of E & M unit of water resource department, Madhya Pradesh.
8	Mr. Arijit Basu	IIT-Kanpur	Water Resources	Process of recovery of water cess under irrigation projects of Madhya Pradesh Water Resource department

9	Mr. Samrat Gupta	IIFM- Bhopal	Women and Child Development	To study the implementation of Sajha Chulha as supplementary food scheme
10	Mr. Saurabh Gupta	IIT- Delhi	Women and Child Development	Study of Department MIS, Department of Women and Child Development, Madhya Pradesh.
11	Mr. Dhiraj Kumar	IIT-Kanpur	Rajeev Gandhi Watershed Mission (Panchayat and Rural Development)	Application of GIS in Watershed Management Projects
12	Ms Bhawana Gautam	BHU	Panchayat and Rural Development	Social Audit and Good Governance in MGNREGA
13	Mr. Rajeev Ranjan	IIT-Kanpur	Rajeev Gandhi Watershed Mission (Panchayat and Rural Development)	Project Report for design and efficiency of water harvesting structures & suggested measures for optimum utilization & its sustainability
14	Ms. Jyotsana Singh	IIFM- Bhopal	DPIP (Panchayat and Rural Development)	Market Need Assessment and Supply Chain Analysis in connection with the producer organization engaged in Soybean and Wheat seed Production.
15	Ms. Navneet Thind	IIFM- Bhopal	DPIP (Panchayat and Rural Development)	Study on potential of Micro financing to the SHGs/VDCs through development of community finance organization (CFOs) in selected districts of MPDPIP
16	Govind kumar Rai	IRMA- Anand	Panchayat and Rural Development	Assessment of the Effectiveness and Impact of Dug well Sub Scheme under MGNREGS in Hydrologically Problematic Blocks of Madhya Pradesh

17	Karan Preet Singh	IRMA- Anand	Panchayat and Rural Development	Evaluation and Impact of Swarnajayanti Gram Swarojgar Yojana in generating sustainable livelihoods in Madhya Pradesh
18	Althaf S.	IIT-Madras	MPRRDA (Panchayat and Rural Development)	Socio-Economic Impact Evaluation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) in Madhya Pradesh
19	Shely Yadav	IIT-Kanpur	MPRRDA (Panchayat and Rural Development)	IT application & programming for development of maintenance, Management software & its applications

——00——